भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
.-.-.-.-.-.-.-.-.

दिनांक : 10 मार्च, 2017

<u>अधिसूचना</u>
<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

विषय : **चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमिनियम फोईल" के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने संबंधी निर्णायक समीक्षा जांच।**

एफ. संख्या 14/06/2015-डीजीएडी: समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. यत: मेसर्ज हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटिड, मुंबई, मेसर्ज रविराज फोईल्स लिमिटिड, अहमदाबाद और मेसर्ज जिंदल इंडिया लिमिटिड (जिन्हें आगे याचिकादाता भी कहा गया है) ने संयुक्त रूप से विधिवत् अधिप्रमाणित एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने अधिनियम और नियमावली के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) निर्यातित "एल्युमिनियम फोईल" (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों से पाटन होने तथा संबद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग का क्षति होने का आरोप लगाया है तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. प्रारंभिक जांच के भाग के रूप में विभाग ने खान मंत्रालय और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को एक पत्र लिखा था तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की एक सूची के साथ-साथ संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन, उत्पादन की क्षमता, संबद्ध देश से किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों, यदि कोई हैं, के वर्ष 2011-12 से ले कर वर्ष 2014-15 तक की अवधि के आंकडे भेजने का अनुरोध किया था। खान मंत्रालय ने इस पत्र का विधिवत् उत्तर भेजा था, जिसके साथ उन्होंने एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना संलग्न की थी, जिसमें भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की सूची प्रस्तुत की गई थी।

3. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर जांच की शुरूआत को यथोचित सिद्ध करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 15 दिसंबर, 2015 को अधिसूचना संख्या 15/10/2015-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी करके पाटन-रोधी नियमावली के उप-नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरूआत की थी, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

ख. क्रिया-विधि

4. प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त जांच शुरू करने के लिए सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने के बाद इस जांच के संबंध में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है :

(1) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन-रोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास/प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया था ।

(2) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पतों के अनुसार संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, और भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी भी और उनसे अनुरोध किया था कि वे जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत करा दें।

(3) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपपनीय वृतांत की एक प्रति प्रदान की थी।

(4) भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे चीन से उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें। साथ ही उन्हें उत्पादकों/निर्यातकों को प्रेषित किए गए पत्र की एक प्रति और प्रश्नावली, चीन जनवादी गणराज्य से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और उनके पतों के साथ प्रेषित की गई थी।

(5) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें निर्यातक की प्रश्नावलियां और बाजार अर्थव्यवस्था की प्रश्नावलियां प्रेषित की थीं :-

(क) डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटिड

(ख) हेबरी नार्थ चाईना एल्युमिनियम कंपनी लिमिटिड

(ग) जिआंग्सू एल्चा एल्युमिनियम कंपनी लिमिटिड

(घ) क्सिमेन क्सिशुन एल्युमिनियम फोईल कंपनी लिमिटिड

(ङ) शंघाई शेनयू एल्युमिनियम फोईल कंपनी लिमिटिड

(6) संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक की प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

(क) अल्चा इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटिड

(ख) डिंगशेंड एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, हांग कांग ट्रेडिंग कं. लि.

(ग) हैंगझाऊ फाईव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटिड

(घ) हैंगझाऊ डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटिड

(ड.) जिआंग्सू एल्चा एल्युमिनियम कंपनी लिमिटिड

(च) जिनागशुल डिंगशेंग न्यू मेटेरियल ज्वाईंट स्टॉक कंपनी लिमिटिड

(छ) लोफ्टन एन्वायरनमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटिड

(ज) लोफ्टन एल्युमिनियम (हांग कांग)

(झ) क्विंगडाओ लोफ्टन एल्युमिनियम फोईल कंपनी लिमिटिड

(ञ) झेझियांग झोंगझिन एल्युमिनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटिड

(ट) झेझियांग जीकेओ न्यू मेटेरियल कंपनी लिमिटिड

(7) लोफ्टन एन्वायरनमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटिड को छोड कर चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) प्रश्नावली के उत्तर नहीं भेजे हैं। इसलिए वर्तमान जांच में अन्य सहयोगी निर्यातकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है। लोफ्टन एन्वायरनमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटिड ने बाजार अर्थव्यवस्था का दावा किया है और उसने बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

(8) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात आयातकों से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए उनको आयातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

(क) अलुटोप

(ख) आरती ड्रग्स लिमिटिड

(ग) अंशा प्रिंट पैक प्राईवेट लिमिटिड

(घ) बेट्टस इंडिया प्राईवेट लिमिटिड

(ङ) ब्लू स्टार लिमिटिड

(च) बांको प्रोडक्टस (इंडिया) लिमिटिड

(छ) केडबरी इंडिया लिमिटिड

(ज) केडिला फार्म्युस्युटिकल्स लिमिटिड

(झ) क्लाइमेंट सिस्टम्स इंडिया लिमिटिड

(ञ) डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटिड

(ट) दलाल पेकेजिंग

(ठ) फोईल पैक इंडस्ट्रीज

(ड) ग्रीन पैक फोईल्स प्राईवेट लिमिटिड

(ढ) ग्लेक्सोमिथिकलाईन फार्म्युस्युटिकल्स लिमिटिड

(ण) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटिड

(त) हिटाची होम एंड लाईफ सोलूशन्स (इंडिया) लिमिटिड

(थ) झाबरी फ्लेक्सी लेमिनेट प्राईवेट लिमिटिड

(द) जैन पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटिड

(ध) कोच-ग्लिच लिमिटिड

(न) के. ए. अलू फोईल

(प) मेक्लिओड्स फार्म्युस्युटिकल्स लिमिटिड

(फ) निपरा इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटिड

(ब) पोलीकॉम एसोसिएट्स

(भ) पफीजर लिमिटिड

(म) रेनबो प्लास्टिक्स इंडिया लिमिटिड

(य) रेनबो लेबोरेटरीज लिमिटिड

(र) आर.एस. फोईल्स प्राईवेट लिमिटिड

(ल) स्वास्तिक फ्लेक्सी प्राईवेट कंपनी लिमिटिड

(व) सुपरमार्क्स इंडस्ट्रीज

(श) दि पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटिड

(श्र) टेकनोवा टेप्स इंडिया प्राईवेट लिमिटिड

(ष) सुब्रोस ऑटो एयर-कंडीशनिंग सिस्टम

(स) ज्वेल्स पेपर प्राईवेट लिमिटिड

(ह) जिल पैक फ्लेक्सिबल पेकेजिंग मेटेरियल्स

(क) (क) यूपी ट्विगा फाईबर ग्लास लिमिटिड

(ख) (ख) तानिया पोली फिल्मस प्राईवेट लिमिटिड

(ग) (ग) फ्लेक्सिबल पेकेजिंग इंटरप्रिनियुर्स ओरियन्ट एसोसिएशन

(घ) (घ) ओरियन्ट प्रेस लिमिटिड फ्लेक्सिबल पेकेजिंग डिवीजन

(ङ) (ङ) रोकड्यूड्रेलम्पेक्स प्राईवेट लिमिटिड

(च) (च) सहगल पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटिड

(छ) (छ) सांवरिया सहगल पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटिड

(ज) (ज) केप कोन्स प्राईवेट लिमिटिड

(झ) (झ) सार्थक पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटिड

(ञ) (ञ) मॉडर्न लेमिनेटर्स प्राईवेट लिमिटिड

(ट) (ट) पिंटमेन

(ठ) (ठ) प्रिंट-एन-रैप

(ड) (ड) बड्डी फोईल्स प्राईवेट लिमिटिड

(9) भारत में उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों अथवा ग्राहकों से आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए हैं:-

(क) फ्लोरा इंडस्ट्रीज

(ख) हुहाटमाकी पीपीएल लिमिटिड

(ग) इंडियन ओवरसीज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटिड

(घ) इंटरनेशनल ट्रेडर्स

(ङ) माडर्न लेमिनेटर्स प्राईवेट लिमिटिड

(च) महाले बेहर इंडिया प्राईवेट लिमिटिड

(छ) नगरीका फोईल्स लिमिटिड

(ज) नगरीका इंडिकोन प्रोडक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटिड

(झ) नगरीका सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटिड

(ञ) पर्पल इनकोर्पोरेशन

(ट) स्क्रेफ्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटिड

(ठ) तानिया पोली फिल्म्स प्राईवेट लिमिटिड

(ड) टेट्रा पैक इंडिया प्राईवेट लिमिटिड

(ढ) यूफ्लेक्स लिमिटिड

(ण) यूपी ट्विगा फाईबरग्लास लिमिटिड

(त) वीरम नेचुरल प्रोडक्ट्स

(10) खान मंत्रालय द्वारा प्रेषित की गई उत्पादकों की सूची के अनुसार प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की सूचना, निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों को भी भेजी थी और उनसे अनुरोध

किया था कि वे संबद्ध सूचना उन्हें उपलब्ध करा दें। इस आशय की सूचना निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों को भेजी गई थी:-

(क) हिंडालक इंडस्ट्रीज लिमिटिड

(ख) रविराज फोईल्स लिमिटिड

(ग) जिंदल इंडिया लिमिटिड

(घ) पी. जी. फोईल्स लिमिटिड

(ङ) गुजरात फोईल्स लिमिटिड

(च) एस. डी. एल्युम्युनियम

(छ) इंडिया फोईल्स

(ज) एमको इंडिया लिमिटिड

(झ) मेटेनिरि लिमिटिड

(ञ) आर. एस. फोईल्स प्राईवेट लिमिटिड

(ट) जे. पी. फोईल्स

(ठ) मरूधर

(ड) इंडु फोईल्स

(ढ) जिंदल

(ण) पेरागन

(त) जस्क फोईल्स

(थ) एसवीई झारखंड

(द) एसवीसी हैदराबाद

(11) इस जांच की कार्रवाई के दौरान उपरोक्त प्रतिवादी निर्यातकों, आयातकों, घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों के अतिरिक्त निम्नलिखित पक्षकारों की ओर से भी निवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा आयातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है:-

(क) एम एक्सिम प्राईवेट लिमिटिड

(ख) बिलकेयर लिमिटिड

(ग) एचबीआर पेकेजिंग

(घ) इंडिया फ्लेक्सिबल पेकेजिंग एंड फोल्डिंग कार्टन मेन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन

(ङ) स्वम पेकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटिड

(च) ईजजप्रोपैक लिमिटिड

(छ) हिटाची होम एंड लाईफ (प्राईवेट) लिमिटिड

(ज) यूनाईटिड ब्रीवरीज लिमिटिड

(झ) हेनन क्लाईमेट सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटिड

(ञ) प्रणव विकास (इंडिया) प्राईवेट लिमिटिड

(ट) अनु एक्जिम प्राईवेट लिमिटिड

(ठ) बिलकेयर रिसर्च लिमिटिड

(ड) एल्स्ट्रोंग इंटरप्राईजिस इंडिया प्राईवेट लिमिटिड

(12) प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृतान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध करा दिया है, जो कि हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुली पडी हुई है।

(13) पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदावार विवरणों को उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी

महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए थे । प्राधिकारी ने सौदों की समुचित जांच के पश्चात आयातों की मात्रा के परिकलन और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों का सहारा लिया है । सौदावार आयात आंकड़े को सार्वजनिक फाइल में रखा गया था । प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के विश्लेषण को सम्मान देने के लिए डी जी प्रणाली से भी डाटा प्राप्त किया है ।

(14) वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जाँच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए लिए गए कारोबार-वार आयात के विस्तृत आकड़े उपलब्ध कराएं जो कि प्राधिकारी को प्राप्त हो गए हैं। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा का परिकलन करने के लिए तथा कारोबार की विधिवत् जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त हुए आंकडों पर विश्वास किया है। कारोबार-वार आयात के आंकडों को सार्वजनिक फाईल पर उपलब्ध कराया गया है।

(15) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और निर्माण की लागत के आधार पर उसकी क्षति रहित कीमत का आकलन किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(16) प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के प्रावधान के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 10 मई, 2016 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी, जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातकों और आयतकों ने भाग लिया था। मौखिक सुनवाई के समय जिन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे उन्हें सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों

को प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर अपने प्रत्युत्तर देने की भी अनुमति दी गई थी ।

(17) निर्दिष्ट प्राधिकारी की पदावधि में परिवर्तन हो जाने की स्थिति में तथा एटीएमए के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार नए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 4 नवंबर, 2016 को अन्य मौखिक सुनवाई की थी। इस दूसरी मौखिक सुनवाई में जिन पक्षकारों ने अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त किया था, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें।

(18) घरेलू उद्योग के आंकडों की मौके पर जांच करने के साथ-साथ जितना आवश्यक समझा गया था, सहयोगी निर्यातकों के आंकडों की भी उतनी जांच की गई है। केवल ऐसी सत्यापित सूचना को, जहां कहीं भी आवश्यक था, उसमें आवश्यक संशोधन सहित इस अंतिम परिणाम में उन पर विश्वास किया गया है।

(19) मौजूदा जाचं के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि, 1 अप्रैल, 2014 से जून, 2015 तक है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ अप्रैल, 2011- मार्च, 2012, अप्रैल, 2012-मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 -मार्च, 2014 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल है।

(20) इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को प्राधिकारी द्वारा जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, वहां उनका निदान इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।

(21) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है । जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय वृतान्त भी प्रस्तुत करें।

(22) मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्ययधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।

(23) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसरण में संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को 14 फरवरी, 2017 को प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्यों को प्रकट किया गया था । दिनांक 21 फरवरी, 2017 तक टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था । प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों में से संगत समझी गई टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है ।

(24) इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार/किसी अन्य पक्षकार द्वारा नियमों के तहत गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई और प्राधिकारी द्वारा गोपनीय समझी गई जानकारी को निरूपित करता है ।

(25) प्राधिकारी द्वारा इस जांच के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 66.63 रूपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

5. जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद को "एल्युमिनियम फोईल, चाहे वह प्रिंटिड या उसके पीछे कागज, गत्ता, प्लास्टिक्स या उसी प्रकार की कोई ऐसी पैकिंग सामग्री चिपकी हुई है, जिसकी मोटाई 5.5 माईक्रोन से ले कर 80 माईक्रोन तक की है, जिसमें एलूएलू लेमिनेट्स और अल्ट्रा लाईट गेज कनवर्टिड और केपेसिटर शामिल नहीं है" के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6. एल्युमिनियम सिलों को एल्युमिनियम फ्लेट रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) नामक शीटों में रोल्ड किया जाता है। एल्युमिनिय फ्लेट रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) को आगे फोईल्स में रोल्ड (वेल्लित) किया जाता है। इन दोनों किस्मों के उत्पाद के बीच अंतर उनकी मोटाई का होता है। एल्युमिनिय फ्लेट रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) की मोटाई 80 माईक्रोन्स से अधिक होती है। रोल्ड

एल्युमिनिय फ्लेट रोल्ड उत्पाद (एल्युमिनियम फोईल) जैसा भी होता है, उसे वैसे ही बेचा जाता है अथवा उसे प्रिंट करके या उसके पीछे कागज, गत्ता, प्लास्टिक्स या उसी प्रकार की कोई ऐसी पैकिंग सामग्री चिपका कर उसे लेमिनेट (जिसे बैक्ड भी कहा जाता है) करके बेचा जाता है। एल्युमिनियम फोईल्स को उत्पादकों अथवा परिवर्तकों अथवा अंत-प्रयोक्कताओं द्वारा प्रिट करवाया जा सकता है।

7. एल्युमिनियम फोईल्स का व्यापक उपयोग अधिकतर सुरक्षा, भंडारण तथा खाद्य और पेय पदार्थों के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम फोईल्स के प्रमुख अनुप्रयोग फार्म्यस्युटिकल्स उद्योग द्वारा औषधियों की पेकिंग के लिए, खाद्य उद्योग द्वारा संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए तथा सिगरेट उद्योग द्वारा सिगरेटों और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।

8. संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 में उप-शीर्ष संख्या 7607 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

<u>निर्यातकों, आयातकों और हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन</u>

9. विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के संबंध में निर्यातकों, आयातकों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अपवर्जन के दावे</u>

(1) *<u>अल्ट्रा लाईट गेज</u>*

(क) 7 माईक्रोन से कम मोटाई के एल्युमिनियम फोईल को जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने अपनी सुरक्षा याचिका में यह दावा किया है कि उसने 7 माईक्रोन से कम मोटाई के एल्युमिनियम फोईल का उत्पादन किया है, लेकिन अब वे पाटन-रोधी जांच के मामले में यह स्वीकार करते हैं कि सुरक्षा याचिका के समय वे 7 माईक्रोन से कम मोटाई के एल्युमिनियम फोईल का उत्पादन नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रमाण सृजित करने के लिए

घरेलू उद्योग ने लघु व्यवसाय करने वाले कुछ ऐसे क्रेताओं के साथ कुछ बीजक बनाए हैं, जिनके ऊपर उनका वर्चस्व है।

(ख) प्रयोक्ता उद्योग अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा 7 माईक्रोन से कम मोटाई के एल्युमिनियम फोईल की आपूर्ति नहीं की जाती है, जिससे वे प्रयुक्त किए जाने योग्य नहीं होते हैं। आपूर्ति करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रयुक्त किए जा सकने वाले उत्पाद की आपूर्ति करना मानक है, जो कि हस्तगत मामले की आवश्यकता को पूरा करता है।

(ग) आयातित 60% विचाराधीन उत्पाद लाईट गेज और अल्ट्रा गेज का होता है। घरेलू उद्योग को यह सिद्ध करना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद में अन्य ग्रेडों को क्यों शामिल किया गया है और स्वतः दो उत्पादों को नहीं ?

(घ) उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित एल्युमिनियम फोईल किसी भी याचिकादाता द्वारा तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार नहीं बेचा जाता है और इसलिए उसे विशेषकर 7 माईक्रोन से कम मोटाई के तथा लेमिट्यूब्स में प्रयुक्त होने वाले 9 और 12 माइक्रोन के बीच की मोटाई के एल्युमिनियम फोईल को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

(ङ) घरेलू उद्योग अपेक्षित गुणवत्ता युक्त लाईट गेज के फोईल निर्मित करने के लिए सुसज्जित नहीं है। लाईट गेज और अल्ट्रा लाईट गेज को समान उत्पाद नहीं माना जा सकता है और इन्हें इस याचिका से बाहर रखा जाना चाहिए।

(च) घरेलू उद्योग का 7 माईक्रोन से कम और 5.5 माईक्रोन तक की मोटाई तथा 6.35 माईक्रोन की मोटाई के फोईल का विनिर्माण करने के दावे का कोई आधार नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अपनी विनिर्मित और बेची गई मात्रा के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। न ही घरेलू उद्योग ने उनकी अस्वीकृति के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं।

(छ) मेसर्ज जिंदल का एचेनबाच का एक नया संयंत्र है और मेसर्ज हिंडालको का उसी निर्माता द्वारा निर्मित एक अप्रचलित संयंत्र है। यह मानते हुए कि ये दोनों संयंत्र पूर्ण क्षमता में लाईट गेज के फोईल का उत्पादन कर रहे हैं, तब भी वे SX 2 =1400 टन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। यह क्षमता चीन से आयातित किए जा रहे 3500/4500 मी.टन लाईट गेज के फोईल की वास्तविक आवश्यकता से काफी कम है और इसलिए इस किस्म के उत्पाद को जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

(2). **<u>घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकृत किया गया बहिष्करण</u>**

(क) *<u>एल्युमिनियम फोईल कम्पोजिट</u>*: "एल्युमिनियम फोईल कम्पोजिट" (एल्युमिनियम फोईल जिसके पीछे क्राफ्ट पेपर, ग्लास स्क्रिम, ग्लास क्लॉथ चाहे वह सादा या प्रिंटिड है, चिपका हुआ है) को बाहर रखा जाना चाहिए। चीन से भारत को आयात किए जाने वाले एल्युमिनियम रोल्ड उत्पादों और एल्युमिनियम फोईल के खिलाफ सुरक्षा शुल्क जांच में उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से एल्युमिनियम कम्पोजिट पेनलों को बाहर रखा गया था। इसके अतिरिक्त अंतिम जांच परिणाम से यह पता चलता है कि हिंडालकों द्वारा एल्युमिनियम कम्पोजिट पेनल विनिर्मित नहीं किए जाते हैं।

(ख) मौखिक सुनवाई के दौरान याचिकादाताओं ने यह स्वीकार किया था कि वे एल्युमिनियम फोईल कम्पोजिट विनिर्मित नहीं करते हैं अथवा एल्युमिनियम फोईल कम्पोजिट नहीं बेचते हैं। ऐसा उन्होंने अपने लिखित निवेदन में स्वीकार नहीं किया है।

(ग) *<u>क्लेड विद क्लेड एल्युमिनियम</u>* : "एल्युमिनियम मेंगानीज - सिलिकोन आधारित और/अथवा क्लेड एल्युमिनियम - मेंगानीज - सिलिकोन आधारित एल्वॉयस, चाहे वह क्लेड हैं अथवा अनक्लेड, जो कि 35 एमपीए से अधिक की पश्च ब्रेजिंग ईल्ड क्षमता के हैं और जो हीट एक्सचेंजर्स में प्रयुक्त होते हैं और जिनमें रेडिऐटर्स, चार्ज एयर कूलर्स, कंडेसर्ज, ऑयल कूलर्स, हीट कोर्स, इवेपोरेटस, हीट

वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणालियां और उनके कलपुर्जे शामिल हैं, टैरिफ शीर्ष 7607 के अंतर्गत आते है।

(घ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों को नॉन-क्लेड एल्युमिनियम फोईल के समनुरूप क्लेड की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग ऐसे हीट एक्सचेंजर्स में विशेषकर वाहनों और इंजनों में कूलिंग प्रणाली में केवल रेडिएटर्स में किया जाता है। इसे याचिकादाता द्वारा बाहर रखा गया है।

(ङ) *<u>बीयर के बोतलों में क्राउन कैप</u> :* भारत में एल्युमिनियम फोईल के किसी भी विनिर्माता के पास बीयर के बोतलों की गर्दन पर और क्राउन कैप में प्रयुक्त होने वाले एल्युमिनियम फोईल का विनिर्माण करने की क्षमता/प्रोद्योगिकी स्थापित नहीं है। बीयर की बोतलों के प्रयोजनार्थ विशिष्ट किस्म के एल्युमिनियम फोईल 11 माइक्रोन से ले कर निम्नतम 8.5 माईक्रोन तक की श्रृंखला के होते हैं। इसे वर्ष 2009 की सुरक्षा जांच के दौरान बाहर रखा गया था।

(3). **<u>हाउस होल्ड फोईल/सेमी-रिजिड कन्टेनर</u>**

(क) एल्युमिनियम फोईल की श्रेणियों में जिनके लिए विशिष्ट बहिष्करण किया जाना अपेक्षित है, एल्वॉय एए 8011 में 9 माईक्रोन के बीच की मोटाई के हाउस होल्ड फोईल (एचएचएफ) और सेमी-रिजिड कन्टेनर फोईल अथवा 34 माईक्रोन और अलॉय 3003 से बने 80 माईक्रोन के बीच की मोटाई के एल्युमिनियम फोईल कन्टेनर (एएफसी) शामिल हैं।

(ख) मेसर्ज रविराज फोईल लिमिटिड हाउस होल्ड फोईल विनिर्मित नहीं करती है। मेसर्ज हिंडालको इसका न्यूनतम उत्पादन करती है, जिसका उपयोग वह अपनी केप्टिव क्षमता के लिए करती है। यदि संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो हाउस होल्ड फोईल के निचले स्तर तक के उत्पाद में मेसर्ज हिंडालको से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए बाजार में और कोई नहीं रहेगा।

(ग) एसआरसी की आवश्यकता मुख्यतया एल्वॉय 3003 की होती है जिसका विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता है। मेसर्ज हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटिड और मेसर्ज जिंदल इंडिया लिमिटिड ने एल्वॉय 3003 से निर्मित एसआरसी के लिए पूछताछ तक नहीं की है क्योंकि वे एल्वॉय 3003 विनिर्मित नहीं करती हैं। अन्य घरेलू उत्पादकों ने भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जिससे पता चलता है कि वे ऐसी किस्म के उत्पाद का कोई उत्पादन नहीं करते हैं।

(घ) भारतीय बाजार में हाउस होल्ड फोईल/सेमी-रिजिड कन्टेनर का उत्पादन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उनकी गुणवत्ता में कमी है।

(ङ) याचिका में उल्लिखित आयातकों की सूची के अनुसार यह नोट किया जा सकता है कि कोई भी आयातक एल्युमिनियम फोईल कन्टेनर (एएफसी) और एल्युमिनियम फोईल रोल्स (एचएफआर) के लिए सेमी-रिजिड कन्टेनर/हाउस होल्ड फोईल की कच्ची सामग्री का आयात नही कर रहा है। इसलिए घरेलू उद्योग एएफसी/एएफआर के आयातों से प्रभावित नहीं होता है और इसलिए इन्हें भी विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

(च) घरेलू उद्योग ने हाउस होल्ड फोईल और सेमी-रिजिड कन्टेनर फोईल क्षेत्र में क्षमता अथवा उत्पादन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी द्वारा इनकी उत्पाद-वार क्षमता की जांच करनी चाहिए। ऐसी जांच करने से यह सुस्पष्ट प्रमाणित हो जाएगा कि भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की सकल क्षमता अपर्याप्त है।

(छ) जहां तक कि घरेलू उद्योग 1614 मि.मी. की चौडाई के एल्युमिनियम फोईल का विनिर्माण करने की अपनी असमर्थता नहीं बता रहा है। घरेलू उद्योग के पास 1560 मि.मी. की चौडाई तक के एल्युमिनियम फोईल का विनिर्माण करने की क्षमता स्थापित है। इस समय कुछेक प्रयोक्ताओं के पास ही 1768 मि.मी. की

चौडाई के एल्युमिनियम फोईल का विनिर्माण करने की क्षमता स्थापित है और वह भी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान नहीं की जा रही है।

(ज) फार्मा उद्योगों के लिए इन्जेक्टेबल्स के लिए वायल्स सील्स का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त होने वाले 160,170 और 180 माईक्रोन की मोटाई के एल्युमिनियम फोईल को पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि भारत में कोई भी विनिर्माता इसका विनिर्माण नहीं कर रहा है।

(झ) वर्ष 2009 और वर्ष 2011 में संबद्ध वस्तुओं के लिए क्रमशः सुरक्षा जांच और समीक्षा जांच की गई थी। तब से अब तक इसकी स्थिति में कोई पारिवर्तन नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग के पास ऐसी कुछ किस्मों के एल्युमिनियम फोईल की उत्पादन करने की क्षमता की कमी है, जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

(ञ) विचाराधीन उत्पाद को इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या घरेलू उद्योग वाणिज्यिक रूप से वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम है, व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें विभिन्न एल्युमिनियम ग्रेडों से विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है। भिन्न माईक्रोन का भिन्न उपयोग होता है और उनको एक श्रेणी में सम्मिलित करके उनका सार्थक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। याचिकादाताओं द्वारा ऐसा कोई प्रकटन नहीं किया गया है कि जांच अवधि के दौरान उनके द्वारा किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया गया है।

(4). **<u>गुणवत्ता</u>:**

(क) पेकेजिंग उद्योग की पिन होल की आवश्यकता 150 प्रति वर्ग मीटर है, जबकि घरेलू उद्योग 500 प्रति वर्ग मीटर से अधिक के पिन होल्स युक्त एल्युमिनियम फोईल की आपूर्ति करता है। इससे उत्पाद अनप्रयुक्त हो जाता है और उपभोक्ताओं को आयातों का आश्रय लेना पडता है।

(ख) उपभोक्ताओं को 1800 मि.मी. तक की चौडाई के एल्युमिनियम फोईल की आवश्यकता होती है जबकि याचिकादाता केवल 1250-1560 मि.मी. की चौडाई की श्रृंखला में एल्युमिनियम फोईल रोल का विनिर्माण कर सकते हैं।

(ग) निचले स्तर तक के घरेलू उद्योग एल्युमिनियम फोईल कन्टेनर्स और एल्युमिनियम फोईल रोल्स बनाने के लिए 10.5, 11, 18, 36, 38, 42 और 44 माईक्रोन तक के एल्युमिनियम फोईल का उपयोग करते हैं। याचिकादाता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले इतनी मोटाई के एल्युमिनियम फोईल उपयोगी नहीं होते हैं, इसलिए निचले स्तर तक के उद्योग संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए बाध्य होते हैं।

(घ) घरेलू उद्योग अपने उत्पादों के तेल के धब्बों, सर पॉकेटों, चपटेपन, सिल्वटों और लचीलेपन के मुद्दों और साथ ही पिनहोन की आवश्यकता के बारे में मौन बना हुआ है।

(ङ) घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया एल्युमिनियम फोईल फार्मा पैकेजिंग उद्योग द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए अनुपयुक्त है। 8011 एल्वॉय में हिंडाल्को फोईल को फार्मा उपभोक्ता के साथ निबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पिनहोन प्राचल, ऊष्म रोधी, नमी रोधी आदि के मामले में विनिर्दशन से बाहर है।

(5) केवल असज्जित एल्युमिनियम फोईल को जांच के कार्य-क्षेत्र की सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए और विशेषकर ऐसे एल्युमिनियम को, जो प्रिंटिड अथवा गैर-प्रिंटिड है अथवा जिसके पीछे कागज, गत्ता, प्लास्टिक अथवा इसी प्रकार की पैकिंग सामग्री चिपकी हुई है, जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

(6) कुछेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला असज्जित एल्युमिनियम फोईल अत्यंत लचीला और बीएस 476 भाग 6 और 7 के अनुसार श्रेणी "ओ" के प्रमाणन युक्त उच्च वाष्प रोधी क्षमता युक्त होना चाहिए जो कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किया जाता है।

(7) जांच अवधि के दौरान विनिश्चित मोटाई के एल्युमिनियम फोईल की बिक्रियों के आंकडे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यह दावा नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग 7 माईक्रोन और 12 माईक्रोन से कम मोटाई के एल्युमिनियम फोईल विनिर्मित कर रहा है। जांच अवधि के दौरान मासिक आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किए गए और बेचे गए एल्युमिनियम फोईल की सही मात्रा के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(8) घरेलू उद्योग द्वारा मौखिक सुनवाई के दौरान दिए गए आश्वासन के बावजूद भी उसने अपने लिखित निवेदनों में पीसीएन के साथ विचाराधीन उत्पाद के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं। कोल्ड फोर्मेबल फोईल्स (जिसे सामान्यतया अलु अलु के नाम से जाना जाता है) को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र और पीसीएन की संरचना की कार्य-प्रणाली से बाहर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

(9) 8021 एल्वॉय से निर्मित और 900 से 1000 मि.मी. तक की चौडाई वाले 45-60 माईक्रोन के एल्युमिनियम फोईल का आयात बहुत कम है, जो कि भारत में एल्युमिनियम फोईल के कुल आयातों का लगभग 0.89% है। इस प्रकार यह किसी भी तरीके से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

(10) एफटीए के अंतर्गत 0% शुल्क पर अलु अलु लेमिनेट का आयात कोरिया से किया जा रहा है। अलु अलु को वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जबकि अलु अलु स्टॉक को उसमें शामिल किया गया है । इस प्रकार अलु अलु लेमिनेट विनिर्माता उद्योग कोरिया से आयातों के कारण पहले से ही नुकसान उठा रहा है।

(11) अलु अलु लेमिनेट उद्योग में अनेक पुनर्विक्रेताओं ने 900 मि.मी. और 1000 मि.मी. के स्लिटिंग संयंत्र स्थापित किए हुए हैं और वे अधिक चौडाई की सामग्री को संसाधित करने की स्थिति में नहीं है, जैसे कि हिंडालको द्वारा आपूर्ति की जाती है।

(12) एल्युमिनियम फोईल के निर्यातकों द्वारा प्रदत्त की जा रही 12 महीनों की शेल्फ लाईफ गारंटी की तुलना में घरेलू उद्योग केवल 3 महीनों (शेल्फ लाईफ) की गारंटी देता है।

(13) जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि क्या याचिकादाताओं द्वारा विशिष्ट किस्म के एल्युमिनियम फोईल विनिर्मित किए जा रहे हैं अथवा नहीं।

(14) प्रयुक्त किए जाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम फोईल को किसी भी याचिकादाता द्वारा तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार नहीं बेचा जाता है और इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

(15) जांच अवधि के दौरान इस तथ्य की जांच की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा विशेष मोटाई का एल्युमिनियम फोईल विनिर्मित किया जा रहा है अथवा नहीं। घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान विशेष ग्रेड अथवा प्रकार के एल्युमिनियम फोईल की आपूर्ति करने में विफल रहा है, जिससे इस तथ्य का स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा विशेष मोटाई के उत्पाद का विनिर्माण नहीं किया जा रहा है और न ही उसे बेचा जा रहा है।

(16) मेसर्ज हिंडालको द्वारा यू.के. से आयातित मशीनरी अप्रचलित मशीनरी है और इस समय आपूर्ति किए जा रहे उत्पाद के संदर्भ में उल्लिखित मुद्दे, नई मशीनरी होने की स्थिति में भी उठ रहे हैं।

(17) याचिकादाता पुरानी अप्रचलित मशीनरी और निम्न कोटि का कच्चा माल प्रयुक्त करते हैं, जिनके फलस्वरूप उत्पाद के संबंध में अतिरिक्त मुद्दे उठते हैं, जैसे कि उत्पाद में अन्य बातों के साथ-साथ तेल के धब्बे, एयर पॉकेट्स, चपटापन, फडफडाहट और लचीलापन होना। फार्मा पैकेजिंग के लिए फोईल को परिवर्तित करने वाला स्थानीय उद्योग, मेसर्ज रविराज जैसे एल्युमिनियम के घरेलू विनिर्माताओं से अनुचित प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है, जो असज्जित एल्युमिनियम फोईल की अपनी आवश्यकता के आधार पर कोटिड फिल्म खरीदने पर बल देते हैं। घरेलू विनिर्माता जीएमपी और एचएमपी की जांच से नहीं गुजरते हैं।

(18) मांग और आपूर्ति में व्यापक अंतर होने पर घरेलू उद्योग द्वारा आंशिक आपूर्तियां की जाती हैं, प्रदानगी में विलम्ब होता है और वह विफल रहता है।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन</u>

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1). <u>याचिका में बहिष्कृत उत्पाद:</u>

(क) विचाराधीन उत्पाद 5.5 माईक्रोन से ले कर 80 माईक्रोन की मोटाई का एल्युमिनियम फोईल है। 5.5 माईक्रोन से भी कम मोटाई के एल्युमिनियम फोईल का उत्पादन और खपत होती है। तथापि, किसी भी याचिकादाता कंपनी ने 5.5 माईक्रोन से भी कम मोटाई के एल्युमिनियम फोईल का उत्पादन नहीं किया है। इसे विशिष्ट रूप से जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

(ख) विशिष्ट रूप से अल्ट्रा लाईट गेज (परिवर्तित), अलु अलु लेमिनेट्स और केपासिटर्स को इस कारणवश विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है कि याचिकादाता घरेलू उद्योग द्वारा इस प्रकार के उत्पादों का उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

(2). <u>मौखिक सुनवाई में बहिष्कृत उत्पाद :</u>

(क) "एल्युमिनियम फोईल कम्पोजिट" (एल्युमिनियम फोईल जिसके पीछे क्राफ्ट पेपर, ग्लास स्क्रिम, ग्लास क्लॉथ चाहे वह सादा या प्रिंटिड है, चिपका हुआ है) को बाहर रखा जाना चाहिए। चीन से भारत को आयात किए जाने वाले एल्युमिनियम रोल्ड उत्पादों और एल्युमिनियम फोईल के खिलाफ सुरक्षा शुल्क जांच में उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से एल्युमिनियम कम्पोजिट पेनलों को बाहर रखा गया था। इसके अतिरिक्त अंतिम बोलियों से ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा "एल्युमिनियम फोईल कम्पोजिट" विनिर्मित नहीं किया जा रहा है।

(ख) घरेलू उद्योग ने अपने लिखित निवेदनों में यह स्वीकार किया है कि "एल्युमिनियम फोईल कम्पोजिट" एल्युमिनियम फोईल जिसके पीछे क्राफ्ट पेपर,

ग्लास स्क्रिम, ग्लास क्लॉथ चाहे वह सादा या प्रिंटिड है, चिपका हुआ है, को जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है।

(ग) "वाहनों और ईंजनों तथा कूलिंग प्रणालियों में रेडियटर्स मे प्रयुक्त क्लेड युक्त नॉन-क्लेड एल्युमिनियम फोईल" को जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है।

(3). <u>उत्पाद के बारे में :</u>

(क) रोल्ड एफआरपी असज्जित फोईल होता है और इसे जैसा होता है वैसे ही बेचा जाता है अथवा इस पर परत लगाई जाती है या इसे प्रिंट किया जाता है अथवा इसे कागज, गत्ते, प्लास्टिक अथवा अन्य पैकिंग सामग्री के साथ लेमिनेट किया जाता है (जिसे बैक्ड भी कहा जाता है)। एल्युमिनियम फोईल को उत्पादकों अथवा परिवर्तकों अथवा अंत-उपभोक्ताओं द्वारा प्रिंट करवाया जाता है।

(ख) उत्पाद की खपत विभिन्न मोटाई में की जाती है जो कि उसके अंत-अनुप्रयोग की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। विभिन्न बाजार खंडों की विभिन्न विशिष्ट मोटाई की आवश्यकताएं होती हैं। विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत में परिवर्तन, उसकी सामग्री के संयोजन, परत/लेमिनेशन और मोटाई के अनुसार होता है।

(ग) विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न अनुप्रयोग के लिए उत्पाद में विभिन्न संयोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न संयोजन, कच्ची सामग्री (फोईल स्टॉक) में वांछित संयोजन का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में वांछित तकनीकी विनिर्देशन प्राप्त करने के लिए उत्पादक को फोईल स्टॉक में सही विनिर्देशन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, चाहे उसे इन-हाउस से प्राप्त किया जाए अथवा बाजार से खरीदा जाए।

(4) वर्ष 2009 में की गई सुरक्षा जांच में 7 माइक्रोन से कम मोटाई के एल्युमिनियम फोईल को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि सुरक्षा जांच

के समय घरेलू उद्योग उसका विनिर्माण नहीं करता था। तथापि, वर्तमान जांच में 5.5 से 7 माइक्रोन तक की मोटाई जिसे अल्ट्रा लाईट गेज कहा जाता है, के एल्युमिनियम फोईल को वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र से इसलिए बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है और इसकी आपूर्ति भारत में निचले स्तर के उपभोक्ताओं को की जाती है।

(5) सुरक्षा जांच के समय घरेलू उद्योग में केवल मेसर्ज हिंडालको ही शामिल थी, जबकि इस समय घरेलू उद्योग में मेसर्ज हिंडालको, मेसर्ज जिंदल इंडिया और मेसर्ज रविराज फोईल शामिल हैं। मेसर्ज जिंदल इंडिया ने अब 5.5 माईक्रोन तक की मोटाई के फोईल विनिर्मित किए हैं, जबकि मेसर्ज हिंडालको ने भी 6.35 माईक्रोन और उससे अधिक माईक्रोन की मोटाई की संबद्ध वस्तुएं विनिर्मित की हैं तथा भारत में उपभोक्ताओं को उनकी आपूर्ति की है।

(6) 7 माईक्रोन से कम की मोटाई की संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में घरेलू उद्योग को उनके उत्पाद के लिए विश्व भर के प्राधिकारियों से अनेक अधिप्रमाणन प्राप्त होने के साथ-साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता के लिए उनके ग्राहकों से प्रशंसा-पत्र भी प्राप्त हुए है।

(7) मेसर्ज हिंडालको ने अपने मोऊडा संयंत्र में यूएलजी एल्युमिनियम फोईल विनिर्मित करने के लिए यू.के. में अपने संबंधित पक्षकार से पांच मशीनों का आयात किया था और उसके पास श्रेष्ठतम सुविधाएं स्थापित हैं, जो कि किसी भी वैश्विक विनिर्माता से तुलनीय हैं। तथापि, इन पांच यूनिटों में से इस समय केवल दो यूनिटों को स्थापित किया गया है और वे प्रचालन में हैं, जबकि शेष यूनिटों को अभी स्थापित किए जाने के लिए प्रतीक्षित है, जिसका कारण विचाराधीन उत्पाद के पाटन द्वारा सृजित बाजार की प्रतिकूल दशाएं हैं। निरीक्षण दल द्वारा मौके पर निरीक्षण करने के समय उसे वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया था।

(8) 1800 मि.मी. की चौडाई के एल्युमिनियम फोईल के बहिष्करण के दावों के संबंध में यह उल्लिखित किए जाने की आवश्यकता है कि भारत में 1614 मि.मी. की चौडाई के

एल्युमिनियम फोईल के व्यापक आयात होते हैं। हितबद्ध पक्षकार द्वारा वास्तविक रूप से गलत दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त यह अधिप्रमाणित नहीं किया गया है कि 1800 मि.मी. से अधिक चौडाई के फोईल स्थान पर 1800 मि.मी. से कम चौडाई के फोईल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

(9) कुछ आयातकों ने ऐसा बचाव किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा 8006 एल्वॉय का प्रयोग करके सेमी रिजिड कन्टेनर फोईल ("एसआरसी") विनिर्मित किया गया है, जबकि गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण उन्हें 3003 एल्वॉय का प्रयोग करके सेमी रिजिड कन्टेनर फोईल विनिर्मित किए जाने की आवश्यकता है और इस प्रकार वे उनका आयात करते हैं। इस तर्क का कोई आधार नहीं है और यह निम्नानुसार यथोचित है:-

(क) मेसर्ज हिंडालको 8006 एल्वॉय का प्रयोग करके एसआरसी विनिर्मित करती है और उसको बेचती है। यह सुस्थापित स्थिति है नई सामग्री के सम्मिश्रण में अंतर होने के फलस्वरूप भिन्न उत्पाद निर्मित नहीं होता है, जब तक कि अंत-उत्पाद स्वत: भिन्न उत्पाद नहीं होता है।

(ख) मेसर्ज हिंडालको द्वारा एसआरसी ऐसी कीमत पर बेचा जा रहा है, जो कि उस कीमत से काफी अधिक है, जिस पर प्रतिस्पर्द्धा द्वारा 8006 एल्वॉय का एसआरसी बेचा जा रहा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बाजार में मेसर्ज हिंडालको द्वारा बेचा जा रहा उत्पाद, उसकी प्रतिस्पर्द्धा से घटिया नहीं है। इसलिए 3003 और 8006 एल्वॉय के एसआरसी फोईल को भिन्न किस्मों के उत्पाद नहीं माना जा सकता है।

(ग) मेसर्ज हिंडालको 3003 एल्वॉय प्रयुक्त करके रेडिएटर फोईल का उत्पादन करती है। यदि मेसर्ज हिंडालको 3003 एल्वॉय प्रयुक्त करके एक प्रकार के फोईल का उत्पादन कर सकती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि मेसर्ज हिंडालको 3003 एल्वॉय प्रयुक्त करके एसआरसी का उत्पादन नहीं कर सकती है। 3003 एल्वॉय प्रयुक्त करके बनाए गए एसआरसी के बहिष्करण के फलस्वरूप एसआरसी के

अन्य प्रयोक्ता इस उत्पाद का आयात करने लगेंगे और पाटन-रोधी शुल्क का अपवंचन करेंगे।

(घ) मेसर्ज हिंडालको के 3003 एल्वॉय को प्रयुक्त करके एसआरसी नहीं विनिर्मित नहीं किए जाने का एक मात्र कारण यह है कि उसमें वाणिज्यिक व्यवहार्यता की कमी है। मेसर्ज हिंडालको 3003 एल्वॉय को प्रयुक्त करके एसआरसी विनिर्मित करेगी और उसकी आपूर्ति करेगी बशर्ते कि वह उचित कीमत पर उसके लिए आर्डर प्राप्त करे।

(10) उत्पाद का बहिष्करण करने के लिए गुणवत्ता में भिन्नता होना पर्याप्त औचित्य नहीं है जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माना गया है तथा माननीय सीईएसटीएटी ने *डीएसमएम इडमित्सु लिमिटिड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* के मामले में निर्णय दिया है।

(11) घरेलू उद्योग ने एल्युमिनियम फोईल कन्टेनर्स और एल्युमिनियम फोईल रोल्स के लिए वस्तुओं की आपूर्ति की है। इस प्रकार इस किस्म के उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है और उनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है तथा ऐसे उत्पाद आयातित संबद्ध वस्तुओं के साथ वाणिज्यिक प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।

(12) एक मात्र इस कारण से कि एक उपभोक्ता, याचिकादाताओं द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति की गई वस्तुओं का प्रयोग करने में असमर्थ है, जब कि उसी खंड के अन्य उपभोक्ताओं ने अंतिम अंत-उत्पाद का उपयोग किया है और उनका उत्पादन किया है, इस किस्म के उत्पाद का बहिष्करण यथोचित नहीं होता है।

(13) पारिवारिक फोईल के प्रयोजनार्थ एल्युमिनियम फोईल की केप्टिव खपत के संबंध में घरेलू उद्योग निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को सामग्री की आपूर्ति करने में इच्छुक है बशर्ते कि वह उसके लिए अर्थक्षम कीमतें प्राप्त करे, विशेषकर ऐसी स्थिति में जिसमें घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ होता है।

(14) यह तथ्य कोई मायने नहीं रखता है कि याचिकादाता द्वारा विनिर्मित फोईल में एल्युमिनियम का संयोजन, भारत में अन्य उत्पादकों द्वारा विनिर्मित कन्टेनर्स

(एसआरसी) में एल्युमिनियम के संयोजन से भिन्न होता है। वास्तव में मेसर्ज हिंडालको प्रतिस्पर्द्धा में प्रचलित कीमत से काफी अधिक कीमत पर एसआरसी को बेच रही है जिससे स्पष्ट पता चलता है कि मेसर्ज हिंडालको द्वारा विनिर्मित एचएचएफ अथवा एसआरसी किसी भी तरह से भारत में एल्युमिनियम के विभिन्न संयोजन का प्रयोग करके अन्य उत्पादकों द्वारा विनिर्मित किए जा रहे एचएचएफ अथवा एसआरसी से घटिया हैं।

(15) लेमीट्यूब्स के बहिष्करण के संबंध में निवेदन है कि घरेलू उद्योग ने इस प्रकार के उत्पाद को विनिर्मित किया है और विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति की है तथा वह ऐसा नियमित रूप से कर रहा है। वस्तुतः जैसा कि आयातकों ने बचाव किया है, यदि गुणवत्ता के संबंध में कोई मुद्दा होता, तो घरेलू उद्योग को उत्पाद के निरंतर आर्डर प्राप्त नहीं होते।

(16) विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा व्यापक नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं की जा रही वस्तुओं को विशेष रूप से उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है। विश्व भर में विभिन्न प्राधिकारियों ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के अधिक व्यापक कार्य-क्षेत्र पर विचार किया है।

(17) निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग एक विशिष्ट किस्म की वस्तु के संबंध में उद्योग की मांग को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए ऐसे उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखे जाने की आवश्यकता है।

(क) ऐसे तर्क को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मांग और आपूर्ति में व्याप्त अंतर के कारण एक प्रकार के उत्पाद को बाहर नहीं रखा जा सकता है। वास्तव में ऐसे उत्पाद जिसकी मांग की आपूर्ति करने में भारतीय उद्योग असमर्थ है, के पाटन को अनुमति देने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें भारतीय उद्योग अंततः समाप्त हो जायेगा। इसलिए व्यापक जन हित में यह आवश्यक है कि देश के उत्पाद और उत्पादन की रक्षा करने के प्रयोजन से

ऐसे उद्योग को अधिक आक्रमणशीलता से संरक्षित रखा जाए। उद्योग को व्यापार करने के लिए समानांतर कार्य-क्षेत्र की आवश्यकता है ताकि वह अर्थक्षम और उन्नत हो सके।

(ख) याचिकादाता घरेलू उद्योग ने नई उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करने में अत्यधिक धनराशि निवेश की है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं। मेसर्ज हिंडालको के पास ऐसी अत्यधिक सुविधाएं हैं, जिन्हें स्थापित नहीं किया गया है। यदि विचाराधीन उत्पाद के लिए बाजार अर्थक्षम होता है, तो कंपनी अपने गोदामों में पैकटों में बंद पडे अपने उपस्करों को स्थापित कर लेगी। यदि पाटन को नियंत्रित कर दिया जाता है, तो मेसर्ज हिंडालको अपनी क्षमताओं में और विस्तार कर लेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तुलनीय उत्पादों का उत्पादन होने लगेगा।

(ग) मेसर्ज हिंडालको की मशीनरी नोवेकिलस, यू.के. से खरीदी गई है। ये मशीने बहुत अच्छे गेज और आकार की नियंत्रण की सुविधाएं प्रदान करेंगी। मेसर्ज जिंदल इंडिया द्वारा प्रयुक्त एचेनबैच मशीने यूएलजी के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक मशीने हैं और उन्हें नए ब्रांड में खरीदा गया था।

(18) विचाराधीन उत्पाद की व्यापक श्रृंखला के बारे में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) विचाराधीन उत्पाद अनेक प्रकार की मोटाई में विनिर्मित किया जाता है, इस कारण मात्र से यह परिणाम नहीं निकलता है कि विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र अस्वीकार्य अथवा अनुपयुक्त है। वास्तव में प्राधिकारी द्वारा की गई अनेक जांच में विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के अनेक उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने अनेक ऐसी जांच की हैं, जिनमें विभिन्न किस्मों के उत्पाद एक जैसे नहीं हैं।

(ख) विभिन्न प्रकार के उत्पाद का संकुचित फीता होता है। जहां तक कि विचाराधीन उत्पाद में व्यापक श्रृंखला की मोटाई शामिल है। उत्पाद को अनेक उप-समूहों में विभाजित करने के बाद पाटन मार्जिन, कटौती होने और क्षति मार्जिन का

विश्लेषण किया गया है और प्रत्येक उप-समूह में शामिल किए जाने वाले अधिकतर उत्पाद एक जैसे होते हैं।

(19) *<u>गुणवत्ता से संबंधित उठाए गए मुद्दे:</u>*

(क) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा निजी दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग ने एल्युमिनियम फोईल कन्टेनर्स और एल्युमिनियम फोईल रोल्स बनाने के लिए 10.5, 11, 18, 36, 38,42 और 44 माईक्रोन में फोईल्स की आपूर्ति की है। हितबद्ध पक्षकारों का यह भी तर्क नहीं है कि घरेलू उद्योग उनकी आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद की किस्म का उत्पादन नहीं कर रहा है। उनका यह दावा है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएं उनके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

(ख) मात्र इस तथ्य से कि एक उपभोक्ता, याचिकादाताओं द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति की गई वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सका है, जबकि उसी खंड में अनेक उपभोक्ताओं ने उसका उपयोग किया है और अंतिम अंत-उत्पाद विनिर्मित किया है, इस प्रकार के उत्पाद को बाहर रखने का औचित्य नहीं बनता है।

(20) *समान वस्तु :*

(क) याचिकादाताओं द्वारा निर्मित और चीन से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद, वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसी गुण-विशेषताओं की दृष्टि से एक समान ही हैं।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

10. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के बारे में अनेक मुद्दे उठाए हैं। यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और इसमें ऐसे अनेक विषम उत्पादों को शामिल किया गया है जिनकी विशेष रूप से भिन्न लागत, कीमत और अंत-प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार

पर अनेक किस्मों के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखे जाने की मांग की है कि घरेलू उद्योग वांछित किस्मों के उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति नहीं करता है अथवा घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाले ऐसे उत्पाद की गुणवत्ता और आपूर्ति भिन्न होती है अथवा घरेलू उद्योग विभिन्न उत्पाद सम्मिश्रण में उत्पाद की आपूर्ति करता है। हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे तर्कों की जांच, याचिकादाता कंपनियों के परिसरों में जा कर मौके पर जांच करके तथा पक्षकारों से संबद्ध सूचना मंगा करके की गई है।

11. उत्पाद की किस्म को बाहर रखे जाने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद एल्युमिनियम फोईल है। समग्र एल्युमिनियम फोईल के लिए पाटन और क्षति विश्लेषण किया गया है। विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम फोईल अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं, जिनमें वास्तविक, उत्पादन प्रोद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र और उपस्कर, कार्य और उपयोग आदि शामिल हैं, की दृष्टि से एक समान ही हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पाद सामान्यतया पैकेजिंग के कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। जबकि विभिन्न एल्युमिनियम फोईल की विभिन्न विशिष्टता और अनुप्रयोग होता है, फिर भी यह नोट किया जाता है सभी एल्युमिनियम फोईल मुख्यतया समान कार्य ही करते हैं। विभिन्न श्रेणियों/किस्मों का उद्देश्य अंत-प्रयोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अंत-प्रयोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार एल्युमिनियम फोईल का डिजायन भिन्न होता है। तथापि, सभी प्रकार के एल्युमिनियम फोईल का विनिर्माण करने के लिए आवश्यक प्रचालन और मशीनरी मुख्यतया एक जैसी होती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम फोईल एक वस्तु ही बनते हैं और यदि घरेलू उद्योग भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु का विनिर्माण कर रहा है, तो इस प्रकार के उत्पाद को बाहर रखना उपयुक्त नहीं होगा।

12. जहां तक इन संबंधित वस्तुओं के बहिष्करण का संबंध है, (1) अलूअलूलामीनेट (2) अल्ट्रालाइट गॉज कन्वर्टिड (3) अल्यूमीनियम फॉयल कम्पोजिट (4) कैपेसिटर के लिए एल्यूमीनियम कैपेसीटर (5) एटच अथवा फॉर्म्ड एलयूमीनियम फॉयल (6) एल्यूमीनियम कम्पोजिट पैनल्स (7) क्लाड विद नॉन क्लाड एल्यूमीनियम फॉयल (8) बियर बॉटल के लिए एल्यूमीनियम फॉयल, प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि घरेलू उद्योग इन उत्पाद प्रकारों के बहिष्करण के लिए सहमत हैं । चूंकि, घरेलू उद्योग इन उत्पाद प्रकारों को सम्मिलित न करने के

लिए सहमत हैं, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से इन उत्पाद प्रकारों को शामिल न करने का प्रस्ताव किया है ।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी स्थिति में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में 5.5 माईक्रोन से कम के एल्युमिनियम फोईल शामिल नहीं हैं। इस प्रकार 5.5 माईक्रोन से कम के एल्युमिनियम फोईल वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र और प्रस्तावित सिफारिशों से बाहर हैं।

14. घरेलू उद्योग ने याचिका प्रस्तुत किए जाने के स्तर पर ही निम्नोक्त किस्मों के विचाराधीन उत्पाद को बाहर रखा है:-

(1) 5.5 माईक्रोन से कम की मोटाई वाले एल्युमिनियम फोईल

(2) अल्ट्रा लाईट गेज (यूएलसी परिवर्तित) और अलू अलू लेमिनेट्स

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग एल्वॉय 8006 और 8011 का प्रयोग करके सेमी रिजिड कन्टेनर्स (एसआरसी) और फोईल का उत्पादन और उनकी आपूर्ति करता है जबकि उसकी तुलना में चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एल्वॉय 3003 का प्रयोग किया जाता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एल्वॉय 3003 का प्रयोग करके निर्मित किए गए सेमी रिजिड कनटेनर (एसआरसी), एल्वॉय 8006 प्रयोग करके निर्मित किए गए सेमी रिजिड कनटेनर से श्रेष्ठ होते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग एल्वॉय 8006 और 8011 का प्रयोग करके सेमी रिजिड कन्टेनर्स का उत्पादन करता है और उन्हें उस कीमत पर बेचता है, जो कि चीन से आयातित 3006 एल्वाय के सेमी रिजिड कनटेनर की कीमत से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त एसआरसी फोईल स्टॉक के एक उपभोक्ता ने घरेलू उद्योग से एल्वॉय 8006 युक्त एसआरसी फोईल स्टॉक खरीदा है और साथ ही चीन से 3006 एल्वाय युक्त एसआरसी फोईल स्टॉक का आयात भी किया है।

16. हितबद्ध पक्षकारों ने वास्तव में दोनों प्रकार के एसआरसी फोईल स्टॉक को खरीदा है और बाजार में सेमी रिजिड कन्टेनर्स बेचे हैं। ऐसे पर्याप्त प्रमाण हैं, जिनसे पता चलता है कि 3003 एल्वाय युक्त सेमी रिजिड कन्टेनर्स और 8006 एल्वाय युक्त सेमी रिजिड कन्टेनर्स उपभोक्ताओं के समान समूह द्वारा निर्मित और बेचे गए हैं। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा 3003

एल्वाय युक्त सेमी रिजिड कन्टेनर्स और 8006 एल्वाय युक्त सेमी रिजिड कन्टेनर्स की कीमतों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं रखा गया है। इसलिए 3003 एल्वाय युक्त सेमी रिजिड कन्टेनर्स फोईल स्टॉक और 8006 एल्वाय युक्त सेमी रिजिड कन्टेनर्स फोईल स्टॉक को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखना उचित नहीं होगा।

17. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विभिन्न अनुप्रयोग के लिए 3003 एल्वाय युक्त फोईल का उत्पादन दर्शाता हो। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वास्तव में घरेलू उद्योग के पास वांछित फोईल का उत्पादन करने के लिए 3003 एल्वाय उपलब्ध है।

18. एल्युमिनियम फोईल कन्टेनर्स (एएफसी) और एल्युमिनियम फोईल रोल्स (एएफआर) के लिए सेमी रिजिड कनटेनर/हाउस होल्ड फोईल के बहिष्करण के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इस किस्म के उत्पाद का आयात भारत में किया जाता है और घरेलू उद्योग इस किस्म के उत्पादों के समान वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है। विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम फोईल एक वस्तु बनाते हैं और यदि घरेलू उद्योग भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु विनिर्मित करता है, तो इस प्रकार के उत्पाद को बहिष्कृत करना उचित नहीं होगा।

19. इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मात्रा संबंधी ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जो घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच गुणवत्ता संबंधी आरोपित भिन्नता दर्शाता हो। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी तब तक दो उत्पादों को पृथक करने के लिए सामान्यतया कच्ची सामग्री के संयोजन में भिन्नता को पर्याप्त नहीं समझते है, जब तक कि सकारात्मक जांच करने योग्य प्रमाण से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि कच्ची सामग्री में आरोपित भिन्नता होने के फलस्वरूप स्पष्ट रूप से विभिन्न उत्पाद होने का पता चलता है।

20. *<u>अल्ट्रा लाईट गेज एल्युमिनियम फोईल:</u>* अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने अल्ट्रा लाईट गेज (यूएलजी) एल्युमिनियम फोईल को जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखने की मांग की है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख करते हुए 5.5 माईक्रोन के अल्ट्रा लाईट गेज के बहिष्करण की मांग की है कि घरेलू उद्योग इस प्रकार के उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है। अनेक हितबद्ध

पक्षकारों ने इस आधार पर यूएलजी फोईल का बहिष्करण करने की मांग की है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति किया जाने वाला यूएलजी फोईल इस उत्पाद के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार पर 1800 मि.मी. की चौडाई के यूएलजी के बहिष्करण की मांग की है कि घरेलू उद्योग इतनी चौडाई की सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति नहीं करता है।

21. जहां तक 5.5 माईक्रोन के अल्ट्रा लाईट गेज के बहिष्करण का संबंध है, घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक बीजक के रूप में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया है, जो कि 5.5 माईक्रोन के अल्ट्रा लाईट गेज की बिक्री को दर्शाता है। चूंकि घरेलू उद्योग ने 5.5 माईक्रोन के अल्ट्रा लाईट गेज का उत्पादन और आपूर्ति की है, इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा वास्तविक रूप से गलत है कि घरेलू उद्योग ने इस प्रकार के उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति नहीं की है और इसलिए उसको अस्वीकार किया जाता है।

22. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए एल्युमिनियम फोईल में पिनहोल्स, चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति किए गए एल्युमिनियम फोईल के पिनहोल्स से बहुत अधिक हैं। साथ ही यह तर्क भी दिया गया है कि अल्ट्रा लाईट गेज के फोईल के उपभोक्ता, 150 से अधिक पिनहोल्स वाले एल्युमिनियम फोईल को स्वीकार नहीं करते हैं। तथापि, बहिष्करण की मांग करने वाले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त दस्तावेज से यह नोट किया जाता है कि चीन के उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं ने 500 तक के पिनहोल्स वाले एल्युमिनियम फोईल का उत्पादन और आपूर्ति की है। वास्तव में चीन के आपूर्तिकर्ता के उत्पाद के विनिर्देशन में 600 पिनहोल्स होने का स्पष्ट उल्लेख है। यह भी नोट किया जाता है कि एल्युमिनियम फोईल में हो सकने वाले अधिकतम पिनहोल्स के बारे में बीआईएस द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। चूंकि चीन के उत्पादकों और घरेलू उद्योग की उत्पाद विनिर्देशन शीट 200-800 वर्ग मीटर के बीच पिनहोल्स दर्शाती है, इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि चीन के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति किए गए अल्ट्रा लाईट गेज में 500 तक पिनहोल्स होते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि सरकार ने किसी उत्पाद के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हुए हैं और ऐसे उत्पाद की आपूर्ति

घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है, तो उपभोक्ता ऐसी मांग नहीं कर सकते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उस किस्म का उत्पाद वांछित मानकों को पूरा नहीं करता है।

23. यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध अल्ट्रा लाईट गेज देश में अल्ट्रा लाईट गेज की मांग से काफी कम है।

24. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि एक याचिकादाता कंपनी, मेसर्ज हिंडालको के पास इस किस्म के उत्पाद का उत्पादन करने की अत्यधिक क्षमता विद्यमान है। इस प्रयोजनार्थ उसके स्टॉक में मशीनें पडी हुई हैं और कंपनी इन मशीनों को अभी तक स्थापित नहीं कर सकी है। मेसर्ज हिंडालको ने निवेदन किया है कि उसके पास पांच उत्पादन लाईन हैं। ऐसी प्रत्येक लाईन में 18000 मी.टन की क्षमता है, जो कि यूएलजी फिल्म बनाने में सक्षम है। इनमें से कंपनी ने जांच अवधि तक केवल एक उत्पाद लाईन को स्थापित किया है और उसका प्रचालन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त अब कंपनी एक और उत्पादन लाईन को स्थापित करने की प्रक्रिया में है और उसने अभी तक तीन उत्पादन लाईनों और मालसूचियों को स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया है। मेसर्ज हिंडालको ने निवेदन किया है कि इस किस्म के उत्पाद के पाटन ने वास्तविक रूप से कंपनी को इन उत्पादन क्षमताओं का प्रचालन शुरू करने से रोका है।

25. विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र उत्पादक होने के नाते मेसर्ज रविराज ने इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया है कि वह 21,000 मी.टन की क्षमता वाली अन्य उत्पादन लाईन की स्थापना करने की प्रक्रिया में है, जो कि यूएलजी का उत्पादन करने के प्रति समर्पित होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार के उत्पाद की मौजूदा मांग की तुलना में इस कंपनी की वर्तमान और संभावित क्षमताएं 40,000 मी.टन की हो जायेंगी।

26. 1800 मि.मी. चौडाई के अल्ट्रा लाईट गेज (यूएलजी) का बहिष्करण करने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर और आयात के आंकडे वांछित चौडाई के यूएलजी के आयात नहीं दर्शाते हैं। चूंकि आयातक ने 1800 मि.मी. चौडाई के अल्ट्रा लाईट गेज के आयात नहीं किए हैं और साथ ही आयात के आंकडे वांछित चौडाई के यूएलजी के आयात नहीं दर्शाते हैं, इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का ऐसा तर्क निराधार प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि अंततः विचाराधीन

उत्पाद की खपत, एसे व्यापक चौडाई के उत्पाद की नहीं हुई है। वास्तव में विचाराधीन उत्पाद की खपत, कम चौडाई के उत्पाद की हुई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और आपूर्ति किए गए उत्पाद और चीन से आयातित इस किस्म के उत्पाद का उपयोग, एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। चूंकि घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति की है, इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखना उचित नहीं होगा।

27. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास देश में यूएलजी की मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि देश में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर व्याप्त रहता है, तो विदेशी उत्पादक निश्चित रूप से उचित कीमत पर ऐसे उत्पाद को देश में ला कर इस अंतर को दूर कर सकते हैं। मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर, उत्पाद के पाटन को न्याय संगत सिद्ध नहीं करता है।

28. सुरक्षा जांच में उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर किए गए निवेदन के संबंध में यह नोट किया जाता है कि महानिदेशक, सुरक्षा ने वर्ष 2009 में जांच की थी जिसमें याचिकादाता कंपनियों और विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में भी भिन्नता थी। तब से अब तक परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है। प्राधिकारी ने याचिकादाता कंपनियों की क्षमता के दावों की जांच की है और तदनुसार उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के बारे में निष्कर्ष निकाला है।

29. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच भारत में एल्युमिनियम फोईल (अलु अलु स्टॉक सहित) के पाटन के खिलाफ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। अलु अलु स्टॉक पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। यह देखा गया है कि अलु अलु स्टॉक के 70% से भी अधिक आयात, चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य देशों के स्रोत से किए जा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि उपभोक्ता चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य देशों से अधिकतर अलु अलु स्टॉक खरीद रहे हैं। अलु अलु स्टॉक पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

30. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने हाउसहोल्ड फोईल को विचाराधीन उत्पाद से इस आधार पर बाहर रखने की मांग की है कि देश में केवल एक उत्पादक ही है, जो कि इस किस्म के फोईल का उत्पादन और आपूर्ति करता है और यह उत्पादक अपनी निजी खपत के लिए उत्पाद का पर्याप्त रूप से उत्पादन कर रहा है। हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह दर्शाने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि कुछेक उत्पादकों ने वास्तव में ऐसा उल्लेख किया है कि वे इस किस्म के उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति नहीं करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग का प्रत्येक सहभागी प्रत्येक किस्म के उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति करे। वास्तव में ऐसी स्थिति में जिसमें बडी संख्या में उत्पादक किसी एक उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, ऐसा स्वभाविक है कि प्रत्येक उत्पादक कुछ किस्मों के उत्पाद पर अपना ध्यान संकेन्द्रित करे और कोई भी उत्पादक उत्पाद की समग्र श्रृंखला का उत्पादन नहीं करना चाहता है। इसके अतिरिक्त ऐसी किसी भी स्थिति में यह नोट किया जाता है कि इस किस्म के उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति एक से अधिक उत्पादकों द्वारा की जाती है।

<u>उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के बारे में निष्कर्ष</u>

31. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच और प्रस्तावित उपाय के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र निम्नानुसार है:-

एल्युमिनियम फोईल, चाहे वह प्रिंटिड या उसके पीछे कागज, गत्ता, प्लास्टिक्स या उसी प्रकार की कोई ऐसी पैकिंग सामग्री चिपकी हुई है, जिसकी मोटाई 5.5 माईक्रोन से ले कर 80 माईक्रोन तक की है, जिसमें निम्नोक्त शामिल नहीं है:-

(1) अलु अलु लेमिनेट:- एए 8079 और एए 8021 में 40-50 माईक्रोन के अलु अलु लेमिनेट बहु परतीय अपारदर्शी लेमिनेट है जिसमें एल्युमिनियम फोईल के पीछे दोनों तरफ चिपचिपे गोंद से प्लास्टिक फिल्म चिपकी होती है। इसका प्रयोग केप्सूलों/गोलियों की पैकिंग में किया जाता है।

(2) अल्ट्रा लाईट गेज कनवर्टिड:- अल्ट्रा लाईट गेज कनवर्टिड एक एल्युमिनियम फोइल होता है जिसकी मोटाई 5.56 माईक्रोन से ले कर 7 माईक्रोन तक की होती है। इसके पीछे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम अथवा ग्लास क्लोथ चिपका होता है, चाहे वह सादा है अथवा

प्रिंटिड है। इसका प्रयोग इंशुलेशन, मसालों की पैकिंग करने, कवरिंग के लिए थर्मल फ्ल्यूड लाईनों और चाय के थैलों के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है।

(3) एल्युमिनियम फोईल कम्पोजिट: साथ लगे हुए या उसके पीछे लगाए क्राफ्ट पेपर से और पॉली एथिलिन के साथ या उसके बिना ग्लास स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ चाहे वे प्रिंट किए गए हों अथवा बिना प्रिंट के हों, से परत चढ़ाए गए एल्युमिनियम फोईल । हालांकि, क्राफ्ट पेपर विचाराधीन उत्पाद के दायरे के तथा प्रस्तावित उपायों के क्षेत्र के भीतर आते हैं ।

(4) केपेसिटर्स के लिए एल्युमिनियम फोईल 5 माईक्रोन गेज का एल्युमिनियम फोईल होता है जिसकी न्यूनतम चौडाई, 99.35% तक की शुद्धता के साथ होती है। इसका प्रयोग विद्युतीय उपस्करों के लिए किया जाता है, जैसे कि रेडियो, टेलीवीजन, टेलीफोन, कम्प्युटर, माईक्रोबेव ऑवन्स, विद्युतीय वेल्डर्स, मेग्नेटोज, इलेक्ट्रोनिक परीक्षण उपस्कर, कॉपी मशीनें, एयर कंडीशनर्स, ऑटोमोबाईल्स, फ्लूरोसेंट लाईट्स, मरकरी वेपर स्ट्रीट लैम्प्स, विद्युत पारेषण उपस्कर, विद्युतीय मोटर्स, कंट्रोल यूनिट्स और इसी प्रकार की वस्तुएं।

(5) निक्षारित (ईच्ड) अथवा बनाई गई (फोर्मड) एल्युमिनियम फोईल: निक्षारित अथवा बनाई गई एल्युमिनियम फोईल इलेक्ट्रोलाईट केपेसिटर के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत है।

(6) एल्युमिनियम कम्पोजिट पेनल:- एल्युमिनियम कम्पोजिट पेनल एक नॉन-एल्युमिनियम कोर होता है (जिसे प्राय: पीई कहा जाता है) जो कि एल्युमिनियम की दो पतली परतों से जुडा होता है। इसका प्रयोग फेकेड क्लेडिंग और साईनेज के लिए किया जाता है।

(7) क्लेड विद कम्पेटिबल नॉन-क्लेड एल्युमिनियम फोईल :- क्लेड विद कम्पेटिबल नॉन-क्लेड एल्युमिनियम फोईल जंग-रोधी एल्युमिनियम शीट होती है, जो कि एल्युमिनियम की सतही परतों से बनाई जाती है और यह अधिक मजबूत एल्युमिनियम एल्वॉय कोर सामग्री से धात्विकरूप से जुडी होती है। इसका प्रयोग ऑटोमेटिव उद्योग में इंजन कूलिंग

और एयर कंडीशनर्स प्रणालियों के लिए किया जाता है, जैसे कि रेडिऐटर्स, कंडेसर्ज, इवेपोरेटस, ऑयल कूलर्स और हीटर।

(8) 10.5 माईक्रोन की एल्युमिनियम फोईल जिसकी सतह खुरदरी और छिद्रित होती है, चाहे वह प्रिंटिड है अथवा नहीं। इसका प्रयोग बीयर की बोतल के लिए किया जाता है।

32. "समान वस्तु" के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है:-

''समान वस्तु'' से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं।

33. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध उत्पाद, वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसी गुण-विशेषताओं की दृष्टि से एक समान ही हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर रहे है।

34. इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना है कि याचिकादाता घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध उत्पाद, पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

<u>पीसीएन प्रणाली</u>

35. याचिकादाता ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय मानदंड का अनुपालन करके पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया था ताकि विभिन्न प्रकार के विचाराधीन उत्पाद के बीच भिन्नता बनाई रखी जा सके।

36. जांच शुरू करने और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त होने के बाद प्राधिकारी ने विभिन्न प्रकार के विचाराधीन उत्पाद के बीच भिन्नता बनाई रखे जाने के लिए निम्नलिखित मानदंड {आदर्श समानता मानदंड अथवा उत्पाद नियंत्रण प्रणाली (पीसीएन प्रणाली)} का प्रस्ताव किया था ताकि पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जा सके।

(1) एल्वॉय (1235, 8003, 8006, 8011, 8021, 8079 आदि)।
(2) उत्पाद श्रेणी:
    (क) अलु अलु स्टॉक (एए)
    (ख) हाऊस फोईल (एचएफ)
    (ग) एसआरसी (एससी)
    (घ) अन्य एल्युमिनियम फोईल
(3) प्लेन (पीपीपी)
(4) प्रिंटिड/कोटिड (पीआरआई)
(5) असज्जित फोईल (बीएफओ)
(6) पीछे कागज युक्त (बीडब्ल्यूपी)
(7) पीछे गत्ते युक्त (बीपीपी)
(8) पीछे प्लास्टिक्स युक्त (बीपीएल)
(9) पीछे किसी भी अन्य सदृश किस्म की सामग्री से युक्त (बीएसएम)
(10) माईक्रोन (05.0, 08.3,15.0, 70.0 80.0 आदि)
(11) चौडाई (मिलीमीटर में वास्तविक चौडाई पर आधारित 4 अंक के कोड)

37. दिनांक 10 अगस्त, 2016 के पत्र द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्णीत पीसीएन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना प्रदान करें। प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ पीसीएन प्रणाली को अपनाया था।

घ. <u>घरेलू उद्योग और उसका आधार</u>

<u>उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन</u>

38. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) याचिका का "घरेलू उद्योग" बनने का कोई आधार नहीं है क्योंकि उसे संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले भारतीय बाजार के उद्योग का 50% समर्थन प्राप्त नहीं है।

(2) मेसर्ज रविराज इंडस्ट्रीज घरेलू उद्योग में नहीं आती है क्योंकि उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है।

(3) मेसर्ज रविराज फोईल लिमिटिड ने संबद्ध वस्तुओं के कुछ आयात किए हैं। प्राधिकारी को इसका विस्तार से विश्लेषण करना चाहिए। यदि वे घरेलू उद्योग बनने के पात्र हैं, तो आयात की मात्रा की जांच करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है।

(4) मेसर्ज रविराज फोईल लिमिटिड ने अपने कुल उत्पादन के *** आयात किए हैं और इसलिए वे घरेलू उद्योग बनने के पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यदि प्राधिकारी इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ केवल पात्र घरेलू उत्पादकों की लागत और कीमत पर विचार किया जाना चाहिए।

(5) मेसर्ज रविराज फोईल लिमिटिड द्वारा संबद्ध देश से किए गए आयातों के संबंध में आयात की मात्रा और साथ ही आयातित मात्रा के उपयोग किए जाने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए व्यापक विश्लेषण किया जाना चाहिए।

(6) याचिकादाताओं ने बेहतर लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों को ही चुना है। केवल तीन कंपनियों का चयन करने का प्रयोजन अधिकतम क्षति दर्शाना है। नियमावली के अनुसार समान उत्पाद के सभी उत्पादकों को घरेलू उद्योग में शामिल किया जाना चाहिए।

(7) समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले समस्त उद्योग के निष्पादन की जांच की जानी चाहिए न कि केवल तीन उत्पादकों की।

(8) मेसर्ज पीजी फोईल लिमिटिड को घरेलू उद्योग होने के आधार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके बाजार का हिस्सा केवल *** है और वह आयातक अथवा निर्यातक

से भी संबंधित हो सकती है। इसका निष्पादन, क्षति की प्रवृति को विकृत कर देगा। देश के उत्पादन में इसका अंशदान *** है, जबकि घरेलू उद्योग का उत्पादन*** है। मेसर्ज पीजी फोईल लिमिटिड विशिष्ट रूप से बढिया उत्पादन कर रही है। इसलिए यदि उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए उनके आंकडों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(9) वर्तमान जांच करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि मेसर्ज रविराज फोईल लिमिटिड को घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है, हालांकि उसने चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात किए हैं। ***आयात को टाईल्स में आयात की मात्रा को अत्यधिक माना गया था।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन</u>

39. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड को छोड कर किसी भी अन्य याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात नहीं किए हैं। मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड ने संबद्ध देश से नगण्य मात्रा में संबद्ध वस्तुओं के आयात किए हैं, जो कि उनके कुल उत्पादन का *** मात्र हैं। कुल आयातों, भारतीय मांग, भारतीय उत्पादन और घरेलू उत्पादन की तुलना में इन आयातों की मात्रा कम/तुच्छ थी। पाटन-रारेधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार याचिकादाता पात्र घरेलू उद्योग बनते हैं।

(2) याचिकादाता नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनते हैं, हालांकि मेसर्ज रविराज फोईल लिमिटिड को अपात्र घरेलू उद्योग माना जाता है।

(3) भारतीय उत्पादन में याचिकादाताओं का प्रमुख अंशदान बनता है तथा याचिकादाता पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत उल्लिखित आवश्यकता को पूरा करते हैं।

(4) याचिका का समर्थन ऐसे घरेलू उत्पादकों ने किया है, जिनकी सामूहिक आउटपुट, समान वस्तु के कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत से भी अधिक बनती है, जो कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाला अंश है, जो कि जैसी भी स्थिति है, उसका समर्थन अथवा विरोध करता है। याचिका उन घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई है जिनका उत्पादन प्रमुख अंशदान बनता है। इसके अतिरिक्त याचिका को उन घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है, जिनका उत्पादन 50 प्रतिशत से अधिक बनता है और वे या तो उसका समर्थन अथवा विरोध करते हैं।

(5) अन्य तर्कों के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनेक मामलों में कुल भारतीय उत्पादन के *** से कम अंश को प्रमुख भाग के रूप में माना है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

40. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है"।

41. आवेदन-पत्र मेसर्ज हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटिड, मेसर्ज रविराज फोईल्स लिमिटिड और मेसर्ज जिंदल इंडिया लिमिटिड द्वारा प्रस्तुत किया गया गया था। इसके अतिरिक्त आवेदकों और समर्थकों के अलावा संबद्ध वस्तुओं के कुछेक अन्य उत्पादक भी हैं।

42. पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को इसकी जांच करने कि आवश्यकता है कि क्या (क) आवेदन-पत्र का समर्थन व्यक्त करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन, घरेलू

उद्योग द्वारा किए जाने वाले समान वस्तु के कुल उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत से भी अधिक अंश बनता है और (ख) आवेदन-पत्र को ऐसे घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है, जिनकी सामूहिक आउटपुट, समान वस्तु के कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत से भी अधिक बनती है, जो कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाला अंश है, जो कि जैसी भी स्थिति है, उसका समर्थन अथवा विरोध व्यक्त करता है। कुल उत्पादन में आवेदकों का उत्पादन 41% बनता है और मेसर्ज पीजी फोईल लिमिटिड के समर्थन से आवेदकों का उत्पादन, कुल भारतीय उत्पादन का 56 % अंश बनता है।

43. मौजूदा जांच का समर्थन एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। एसोसिएशन ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का अत्यधिक पाटन होने के बारे में चिंता प्रकट की है। एसोसिएशन वर्तमान जांच की समर्थन करती है और चाहती है कि चीन से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए।

44. प्राधिकारी का विचार है कि किसी भी आवेदक को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड को छोड कर उनमें से किसी भी आवेदक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित हैं। यह नोट किया जाता है कि मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड ने चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

45. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड को इसलिए घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। प्राधिकारी ने मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड द्वारा किए गए आयातों की व्यापक जांच की है, जिसके लिए समग्र रूप में और उनके निजी उत्पादन, भारतीय उत्पादन और चीन से आयातों तथा भारत में मांग/खपत के प्रसंग में उनके द्वारा किए गए आयातों की मात्रा को ध्यान में रखा गया है, जिसका उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है।

तालिका-1

	मापन का यूनिट	**जांच अवधि**
रवि राज का उत्पादन	मी.टन	***
भारत में उत्पादन	मी.टन	1,24,788
सम्पूर्ण रूप से आयात	मी.टन	***
चीन से आयात	मी.टन	71,938
चीन से आयात के प्रसंग में आयात	%	***
उनके उत्पादन के प्रसंग में आयात	%	***
भारतीय खपत के प्रसंग में आयात	%	***

46. यह भी नोट किया जाता है कि मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड ने आयातित संबद्ध वस्तुओं को पुन: चमका करके उन्हें घरेलू बाजार में बेचा है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के बाद कंपनी के आयातों की सूचना मंगाई थी। यह पाया गया था कि जांच अवधि के बाद कंपनी द्वारा किए गए आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। हालांकि मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड के चीन जनवादी गणराज्य से किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयात बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन चूंकि अधिकतर समस्त आयातित संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेच दिया गया था और कंपनी ने उत्पाद के आयातों के लिए कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दिया है, जब कि कंपनी स्वत: ऐसे उत्पाद का उत्पादन करने में लगी हुई है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि कंपनी ने ऐसे पाटन से अनुचित लाभ उठाया है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड को घरेलू उद्योग का एक भाग के रूप में माना जाना उपयुक्त नहीं होगा।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड को पात्र घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर करने के बाद अन्य दो याचिकादाता नामत: मेसर्ज हिंडालको और मेसर्ज जिंदल इंडिया, नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित घरेलू उद्योग के आधार संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं।

मेसर्ज रविराज फोईल्स के बिना उद्योग का उत्पादन

तालिका-2

विवरण	**यूनिट**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि वार्षिकीकृत**	**जांच अवधि (अप्रैल, 14 से जून, 2015 तक)**
याचिकादाताओं का उत्पादन	मी.टन	15,532	14,677	13,283	17,077	21,346
समर्थक का उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***
समर्थक सहित याचिकादाताओं का उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों का उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***
कुल भारतीय उत्पादन	मी.टन	**39,139**	**37,779**	**39,465**	**42,165**	**52,706**
याचिकादाताओं का अंशदान	%	40	39	34	41	41
समर्थक का अंशदान	%	***	***	***	***	***
समर्थक सहित याचिकादाताओं का अंशदान	%	***	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों का अंशदान	%	***	***	***	***	***
कुल	%	100	100	100	100	100

प्राधिकारी ने खान मंत्रालय और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को एक पत्र लिखा था तथा उनसे अनुरोध किया था कि उन्हें भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की सूची के साथ-साथ उनके उत्पादन, उत्पादन क्षमता और वर्ष 2011-12 से ले कर वर्ष 2014-15 तक की अवधि के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों, यदि कोई हुए हैं, के ब्यौरें प्रस्तुत करें। खनन मंत्रालय ने इस पत्र का विधिवत् उत्तर देते हुए अपेक्षित सूचना संलग्न की थी जिसमें

भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की सूची और प्रमुख उत्पादकों का उत्पादन दर्शाया गया है। इसलिए एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों का प्रतिनिधि माना गया था।

48. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथा विधिवत् जांच करने के बाद प्राधिकारी का यह मानना है कि मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड को छोड कर आवेदक पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त मेसर्ज रविराज फाईल्स लिमिटिड को छोड कर आवेदक नियम 2 (ख) में उल्लिखित घरेलू उद्योग की परिभाषा के अनुसार घरेलू उद्योग बनते हैं।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

<u>निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन</u>

49. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों_द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) घरेलू उद्योग द्वारा प्रपत्र पर त्रुटिपूर्ण याचिका प्रस्तुत की गई है। इसमें अत्यधिक गोपनीयता रखी गई है और विभिन्न सूचना के लिए अगोपनीय वृतान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) घरेलू उद्योग द्वारा याचिका में अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखने का दावा किया गया है। याचिका में कीमत में कटौती, मार्जिन्र, समर्थक के बिना याचिकादाताओं के अंशदान और उत्पादन के आंकडे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जबकि स्थाई आंकडों को कभी भी गोपनीय नहीं रखा जाता है, भारत में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के आंकडे और कंपनी की वार्षिक रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इसलिए उन्हें गोपनीय रखे जाने का कोई कारण नहीं है।

(3) अत्यधिक और अनुचित आबंटन/मूल्य ह्रास और ब्याज के अंश के कारण घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अंतर्गत उल्लिखित सिद्धांतों के विपरीत है और उसे गलती से बढा-चढा कर दिखलाया गया है और तदनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण भी गलत ढंग से किया गया है।

(4) घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता रखी गई है। जिन मूल अवधारणाओं के आधार पर घरेलू उद्योग ने निष्क्रिय समय के बिना जांच करने अथवा उसकी संरचित अवधि संरचित करने का प्रयास किया है, उनके विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिससे हितबद्ध पक्षकार उन पर अपनी टिप्पणियां दे सकें।

(5) याचिकादाता द्वारा निम्नोक्त पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है:-

(क) क्रय नीति, बिक्री नीति, भंडार लेखाकरण नीति और गुणवत्ता नियंत्रण नीति।
(ख) जांच अवधि के साथ-साथ पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखे।
(ग) कीमत में कटौती होने के मार्जिन का उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) वस्तुओं की गुणवत्ता अथवा उत्पाद की आपूर्ति करने में उसकी असमर्थता के बारे में घरेलू उद्योग के साथ हुए पत्राचार में प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा कोई अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया गया है तथा इनकी सूचना लिखित निवेदनों में प्रदान की गई है।

(7) घरेलू उद्योग ने एमएस एक्सिल प्रपत्र में कारोबार-बार आयात के आंकडों की सॉफ्ट प्रति प्रदान करने, क्रय नीति, बिक्री नीति, भंडार की लेखाकरण नीति, गुणवत्ता नियंत्रण नीति, जांच अवधि के साथ-साथ पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा, चीन जनवादी गणराज्य के सामान्य मूल्य के परिकलन के बारे में अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखने का दावा किया है।

(8) व्यवसाय संबंधी लाईसेंस में संवेदी सूचना निहित होती है और इसलिए उसकी गोपनीयता का दावा किया गया है।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन</u>

50. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) प्रतिवादी निर्यातकों ने घरेलू उद्योग को अपने हितों की रक्षा करने से रोकने के लिए एक प्रयत्न के रूप में अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखने का आश्रय लिया है। जहां तक कि

प्रतिवादी निर्यातकों ने अपने व्यवसाय संबंधी लाईसेंस को भी एक गोपनीय दस्तावेज के रूप में माना है। कंपनी के पंजीकरण के संचालन पर चीन जनवादी गणराज्य के विनियम के अनुच्छेद 63 में ऐसा उल्लेख है कि ऐसा व्यवसाय संबंधी लाईसेंस "नेत्र से देखे जाने की स्थिति" में होना चाहिए। इस प्रकार यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने वाली सूचना को गोपनीय सूचना के रूप में रखे जाने का दावा नहीं किया जा सकता है।

(2) दो प्रतिवादी निर्यातक समूहों के संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माता प्रयोज्यताओं के साथ संबंध हैं और निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों में उनके नामों की गोपनीयता का दावा किया गया है। यहां यह बल दिया जाता है कि ऐसी सूचना सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र की होती है और इसे गोपनीय बनाए रखना उचित नहीं है।

(3) केवल लॉफ्टन एन्वायरन्मेंटल टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटिड, क्गिडेओल एल्युमिनियम फोईल कंपनी लिमिटिड और लॉफ्टन एल्युमिनियम (हांग कांग) (जो कि हांग कांग आधारित निर्यातक है) ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। अन्य तीन निर्यातकों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। तथापि, वे संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं और उनके नाम कंपनी की बेवसाईट पर उपलब्ध हैं। चूंकि ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, इसलिए इस संबंध में किसी भी प्रकार की गोपनीयता के दावे को रद्द किया जाता है।

(4) डिंगशेंग समूह के उत्पादकों और निर्यातकों ने अन्य संबंधित उत्पादकों के नामों की गोपनीयता का दावा किया है। उनकी यह सूचना भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

51. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

"(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां

या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं "।

52. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृतान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृतान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी किसी भी सूचना को जो कि सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में उपलब्ध है, गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

च. <u>विविध निवेदन</u>

<u>निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन</u>

53. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों_द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) घरेलू उद्योग के लिए ऐसे एल्युमिनियम फोईल की आपूर्ति करना महत्वपूर्ण है जो कि प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ऐसे फोईल की आपूर्ति को जो कि प्रयुक्त करने के लिए सक्षम नहीं है, विशेष ग्रेड की आपूर्ति के रूप में माना जाता है।

(2) आयात मुख्यतया दो कारण से किए जाते हैं। पहला यह कि घरेलू उद्योग बाजार की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है और दूसरा यह कि घरेलू उद्योग बाजार की मांग को पूरा नहीं कर सकता है।

(3) घरेलू उद्योग द्वारा वस्तुओं की गुणवत्ता, वस्तुओं को अस्वीकार किए जाने अथवा विशेष प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति करने में असमर्थता/खेद प्रकट करने से संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग सदैव ऐसा करने से बचता रहा है और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। यदि ऐसे प्रमाणों को प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो प्राधिकारी को ऐसे निवेदनों को अस्वीकार कर देना चाहिए।

(4) घरेलू उद्योग के निवेदनों के साथ 5.5 माईक्रोन के यूएलजी के उत्पाद और 12 माईक्रोन की मोटाई के फोईल की कोई बीजक संलग्न नहीं की गई है।

(5) घरेलू उद्योग बिना कोई कारण बताए अनेक सूचना जैसे कि मोटाई के आधार पर आयातों का वर्गीकरण, कीमत कटौती,पाटन मार्जिन और पीसीएन के आधार पर क्षति मार्जिन से संबंधित सूचना प्रदान करने मे विफल रहा है। घरेलू उद्योग ने ऐसी सूचना प्रदान नहीं किए जाने का कोई कारण भी नहीं बताया है अथवा ऐसी सूचनाओं को गोपनीय सूचना भी नहीं माना है।

(6) मेसर्ज हिंडालको इंडस्ट्रीज की एल्युमिनियम श्रृंखला में इनगोट से शुरू हो कर विचाराधीन उत्पाद तक अनेक प्रभाग शामिल हैं। उनकी इनगोट की कीमत को शीट चरण में और उसके बाद शीट से फोईल प्रभाग आदि तक अंतरित करने की एक नीति है। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसकी सख्ती से संवीक्षा करनी चाहिए ताकि घरेलू उद्योग के ऐसे किसी भी प्रयास को निष्फल किया जा सके जिससे वह पाटन-रोधी शुल्क के अनुचित

लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य कारणों से होने वाली अपनी क्षतियों को विचाराधीन उत्पाद पर मढता है।

(7) घरेलू उद्योग का यह दावा है कि वह एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसलिए वह वास्तविक विनिर्माण व्ययों को अनुमान नहीं लगा सकती है।

(8) ग्राहकों द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(9) वर्तमान एलएमई और एसएमई कीमत के साथ विनिमय दर ने फोईल के आयात को पहले से ही गैर-अर्थक्षम बनाया हुआ है।

(10) जैसे ही विचाराधीन उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लगा दिया जाता है तो उससे एकाधिकारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और घरेलू उद्योग द्वारा कीमतें बढा दी जाएंगी जिसके फलस्वरूप इस उत्पाद पर निर्भर करने वाले व्यापक फैले हुए एसएमई बंद हो जायेंगे। इसलिए यह जनहित के विरूद्ध होगा।

(11) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन-पत्र अपूर्ण है और यह घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों में निहित तथ्यों के विपरीत है। याचिका अस्वीकार्य अवधारणाओं और विकृत आंकडों पर आधारित है और इस संबंध में उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(12) क्षति मार्जिन परिकलित करते समय उसके लिए 7.5% सीमा शुल्क और न कि *** पर आधारित पहुंच मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(13) अत्यधिक और अनुचित आबंटन/मूल्यह्रास का अनुपात, एनएफए, कार्यशील पूंजी, नियोजित पूंजी और ब्याज लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित की गई एनआईपी पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अंतर्गत उल्लिखित सिद्धांतों के विपरीत है और उसे गलती से बढाया गया है।

(14) याचिकादाताओं ने महानिदेशक, सुरक्षा के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया है कि याचिका को वापस लेने के कारण जांच को समाप्त कर दिया गया था। इससे पता चलता

है कि याचिकादाता पाटन को प्रमाणित करने में असमर्थ थे। इसलिए घरेलू उद्योग के लिए भारत में एल्युमिनियम फोईल के आयात के खिलाफ जांच शुरू करने के मामले का उल्लेख करना उपयुक्त नहीं है। याचिकादाताओं का यह दावा कि महानिदेशक, सुरक्षा के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिका और वर्तमान याचिका के बीच कोई संबंध नहीं है, अनुचित और गलत है तथा उसकी मनाही की जाती है।

(15) घरेलू उद्योग के स्रोत से उत्पाद प्राप्त करने के बजाय उनके आयातों का आश्रय लेने का कारण मुख्यतया आयात कीमत के साथ नहीं बल्कि अपेक्षित तकनीकी गुण-क्षमताओं के रूप में अंत-प्रयोक्ताओं की गुणवत्ता और आवश्यकता के साथ जुडा हुआ है।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन</u>

54. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) उत्पाद के लिए पहले सुरक्षा जांच अप्रैल, 2008 - दिसंबर, 2008 की जांच अवधि को ध्यान में रखते हुए की गई थी। तथापि, महानिदेशक, सुरक्षा द्वारा पाए गए तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। विशेषकर विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पादों की किस्मों के बारे में सुरक्षा के शुल्कों को लागू करने से घरेलू उद्योग की स्थिति में आर्थिक रूप से परिवर्तन हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए याचिकादाता का यह अनुरोध है कि कृपया वर्तमान प्रयोजनार्थ सुरक्षा जांच के निष्कर्षों की अनदेखी की जाए।

(2) सुरक्षा जांच में विचार किए गए घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र, वर्तमान प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से काफी भिन्न था। जबकि सुरक्षा जांच के समय केवल मेसर्ज हिंडालको कंपनी ही घरेलू उद्योग बनती थी, वर्तमान जांच में मेसर्ज हिंडालको, मेसर्ज जिंदल इंडिया और मेसर्ज रविराज फोईल्स कंपनियां घरेलू उद्योग बनती हैं।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

55. विविध मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच और निदान निम्नानुसार किया गया हैं।

56. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र में प्रदत्त अपर्याप्त सूचना होने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ आवेदन-पत्र में समस्त सूचना निहित है। प्राधिकारी ने जांच शुरू करने को यथोचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रमाण निहित आवेदन-पत्र पर संतुष्ट होने के बाद ही वर्तमान जांच शुरू करने का निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त, जांच शुरू किए जाने के बाद जितना आवश्यक समझा गया है, आवेदक से उतनी सूचना मांगी गई है और आवेदक ने वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उसे प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के कार्य की प्रगति के अनुसार प्रमाण की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है।

(1) उत्पाद की किस्म के बीजकों के बारे में उल्लेखनीय है कि याचिकादाताओं ने उन्हें गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया है और प्राधिकारी ने उनकी उचित रूप से जांच की है। वाणिज्यिक बीजकें, वाणिज्यिक रूप से संवेदी सूचना होती है और उनका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

(2) क्षति मार्जिन के परिकलन के तर्कों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि क्षति मार्जिन, क्षति रहित कीमतों पर आधारित होता है, जिसका परिकलन पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित प्रणाली के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त जांच अवधि के दौरान यथा प्रचलित सीमा शुल्क को अपनाया जाता है, जो कि सीमा शुल्क से संबंधित तर्कों का समाधान करता है।

(3) पाटन-रोधी शुल्क के परिणामस्वरूप एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इस आशय के अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

(4) जहां तक मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यदि निर्यातक भारतीय बाजार में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति करना चाहते थे, तो वे सामान्य मूल्य के बराबर कीमत पर आवश्यक वस्तुओं का निर्यात कर सकते थे लेकिन बाजार को हथियाने के लिए पाटित मूल्य पर नहीं।

(5) इस तर्क के संबंध में कि विनिमय दर के साथ वर्तमान एलएमई और एसएमई ने पहले से ही फोईल के आयात को गैर-अर्थक्षम बना दिया है, यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी जांच के प्रयोजनार्थ इस तर्क की कोई प्रासंगिकता नहीं है। पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतस्पर्द्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो।

(6) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और भारत में आयातित उत्पादों की क्षमता, गुणवत्ता और विनिर्देशनों के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के बारे में यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद को भारत में आयात किए जाने उत्पाद के समान वस्तु माना जाता है तथा प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, इसलिए बिना कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए ऐसे मुद्दों की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(7) याचिकादाता कंपनियों के इस आशय के तर्क के संबंध में कि वे बहुविध अथवा बहु-प्रभागीय कंपनियां हैं, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन ने घरेलू उद्योग के निष्पादन के बारे में प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखी गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ही है।

च. बाजार अर्थव्यवस्था ट्रीटमेंट (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन

57. नियमावली के अंतर्गत "सामान्य मूल्य" हैः

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य हैः

i. *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

ii. *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-*

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(ख) *उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;*

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

<u>निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदनः</u>

58. निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा इस संबंध में निवेदन किए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(i) जांच शुरूआत की अधिसूचना के पैरा 10 के अनुसार भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर विधिवत समायोजित सामान्य मूल्य का दावा किया गया है। यह एडीडी नियमावली के अनुबंध-1(7) के तहत कानून की अपेक्षाओं के उल्लंघन में है।

(ii) याचिकाकर्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर प्राधिकारी ने भरोसा किया है जो एडीडी नियमावली के अनुबंध-1(7) के अंतर्गत उपलब्ध अंतिम विकल्प है। प्राधिकारी ने अंतिम विकल्प का केवल उसी स्थिति में सहारा ले सकता है यदि अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के पहले दोनों विकल्प अशक्त हो जाते हैं और इसको *शेनयांग मत्सुशिता एस. बैट्री कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. और अन्य [(2005) 2 एससीसी 39]* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रोका गया था।

(iii) पाटनरोधी नियामवली के पैरा 7 के अनुबंध-1 के अनुसार तृतीय देश बाजार अर्थव्यवस्था का चयन करने के बारे में जांच करने के लिए पक्षकारों को सूचित करना और उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उचित समाज के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। चीन के लिए पता लगाया सामान्य मूल्य सही नहीं है और प्राधिकारी के द्वारा कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तथा सामग्री की खपत संबंधी मानदंडों तथा यूटीलिटीज के बारे में सूचित करना चाहिए।

(iv) याचिकाकर्ता ने एफओबी के *** की दर से समुद्री बीमा के बारे में विचार किया है, जबकि यह एफओबी केवल *** है। साथ ही, चीनी उद्योगों से आयात की गई वस्तुओं पर कमीशन दिया जाता है। याचिका में निर्धारित निर्यात मूल्य समर्थन प्रमाण का अभाव है। पाटन मार्जिन भ्रान्तिपूर्ण सामान्य मूल्य पर आधारित है जिसको कम किए गए निर्यात मूल्यों की वजह से बनावटी तौर पर बढ़ाया गया है।

(v) निर्यातक की प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में निर्यातकों के द्वारा उपलब्ध कराई सूचना का उपयोग करके पाटन मार्जिन की गणना करनी चाहिए। याचिका में निर्धारित पाटन मूल्य त्रुटिपूर्ण है। अपवर्जन के लिए अनुरोध की गई वस्तुओं के आयातों को छोड़कर क्षति का विश्लेषण करना चाहिए।

(vi) कम कीमत और पाटन मार्जिन तथा पीसीएन वार पर आधारित क्षति मार्जिन की सूचना संलग्न नहीं की जाती है।

(vii) आयातों की वजह से याचिकाकर्ताओं को हो रही किसी क्षति को याचिकाकर्ता सुनिश्चित नहीं कर सके हैं। स्वयं उनके आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता में कमी है।

(viii) याचिकाकर्ता के प्राप्ति मूल्यों के अनुसार कच्चे माल की कीमतों के उपयोग को प्राधिकारी के द्वारा स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे विकृत होती हैं।

(ix) जांच को समाप्त करना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं के मामले में कोई अर्हता नहीं होती है और साथ ही, उन्होंने बुनियादी सीमा शुल्क में *** की बढ़ोत्तरी के जरिए अतिरिक्त सुरक्षा पहले ही प्राप्त कर ली है जिससे बजट 2016 में किए प्रावधान के अनुसार बीसीडी अब 7.5% बनता है।

<u>घरेलू उद्योग के द्वारा निवेदन</u>

59. घरेलू उद्योग ने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध किया हैः

(i) चीन एक गैर-बाजार व्यवस्था वाला देश है। किसी भी देश ने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा, किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था स्तर की मंजूरी देने के लिए अर्हता हेतु विधिशास्त्र की हरेक शर्त को पूरा नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन के उत्पादकों की लागत और मूल्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(ii) याचिकाकर्ताओं ने अंतिम विकल्प का सहारा लिया क्योंकि उनके पास एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के लिए अपेक्षित सूचना नहीं थी। एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के लिए सुझाव देने एवं इसके लिए उचित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के पास जांच की शुरूआत से पर्याप्त समय और अवसर भी थे। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के बारे में सुझाव देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों पर कोई रोक नहीं है।

(iii) इन हितबद्ध पक्षकारों के पास अपने-अपने स्वतंत्र दावे दायर करने के लिए अवसर थे। यदि हितबद्ध पक्षकार अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हुए हैं तो वे याचिकाकर्ताओं अथवा प्राधिकारी में कोई दोष नहीं निकाल सकते हैं।

(iv) चीन के लिए भारत एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश है क्योंकि इससे सटीक और पर्याप्त सूचना प्राप्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, अन्य जांच प्राधिकारियों के द्वारा भी भारत को एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश के रूप में माना गया है।

(v) सामान्य मूल्य का भारत की उत्पादन लागत के आधार पर विधिवत समायोजित करके तद्नुसार निर्धारण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि विक्रय मूल्य हानि उठाने वाला मूल्य होता है।

(vi) निर्यात मूल्य की गणना करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदे-वार आयात आंकड़ों पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया है।

(vii) विभिन्न उत्पाद किस्मों की लागत और मूल्य में पर्याप्त अंतर को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक उत्पाद किस्म के लिए अलग निर्यात मूल्य निर्धारित किया है।

(viii) विभिन्न उत्पाद किस्मों की लागतों और मूल्यों में अंतर होने की वजह से प्रत्येक किस्म के लिए पाटन मार्जिन अलग से निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त से यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से न केवल कम होता है अपितु पर्याप्त भी होता है।

(ix) याचिकाकर्ताओं ने निर्यात मूल्य की गणना करने के लिए समायोजन करने में संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया है। वर्तमान जांच की शुरूआत से ही प्राधिकारी ने निर्यातकों से प्रत्युत्तर प्राप्त किए हैं। प्राधिकारी निर्यात मूल्य समायोजनों तथा अपनाई गई प्रक्रिया को तद्नुसार जांच कर सकता है।

(X) एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का सुझाव देने तथा इसके लिए उपयुक्त प्रमाण देने हेतु हितबद्ध पक्षकारों के पास जांच की शुरूआत से पर्याप्त समय और अवसर थे। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का सुझाव देने में हितबद्ध पक्षकारों पर कोई रोक नहीं है। वस्तुतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश को स्वीकार करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए पर्याप्त प्रमाण और दावे की अपेक्षा होगी। हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है और यह आरोपित करने में ही लगा है।

(Xi) निर्यात मूल्यों का पर्याप्त समर्थन प्रमाणों से निर्धारित किए गए हैं। आयात मूल्य का दावा सीमा शुल्क आंकड़े पर आधारित होता है और इसलिए इसके बारे में सबसे अधिक विश्वसनीयता से विचार करना होता है। याचिकाकर्ताओं ने निर्यात मूल्य में कोई समायोजन किए बिना पाटन मार्जिन के अनुमानों को याचिकाकर्ता ने इन निवेदनों के साथ संलग्न किया है।

प्राधिकारी के द्वारा जांच – गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन

60. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री

के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में

समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

61. अनुच्छेद 15 में यह अपेक्षा होती है कि एक उप पैराग्राफ के प्रावधान चीन की प्राप्ति की तारीख से 15 वर्षों मे समाप्त होंगे। इस पैराग्राफ के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 में समाप्त हो गए। चूंकि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के पाटन के कारक जांच अवधि के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, इसलिए केवल जांच अवधि के दौरान प्रचलित परिस्थितियां वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक, उपयुक्त और जरूरी होती हैं। वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन हेतु जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2014 से जून, 2015 है। चूंकि अनुच्छेद 15 का उप पैराग्राफ जांच की अवधि के दौरान अस्तित्व में था, इसलिए प्राधिकारी उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ एक सशक्त तुलना पर आधारित न हो। यदि जांचाधीन उत्पादक यह साफ-साफ नहीं दिखा सकता है कि उक्त उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां प्रचलित हों।

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों के द्वारा विगत 3 वर्षों में पाटनरोधी जांच में चीन गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है। नियमावली के अनुसार निर्यातक देश अथवा व्यक्तिगत निर्यातकों के द्वारा अनुमान का खंडन करने के अध्यधीन चीन गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है।

63. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है तथा उसे भरा हैः

(क) अल्चा इंटरनेशनल होल्डिंग लि.
(ख) डिंगशेंड एलयूमिनियम इंडस्ट्रीज हांगकांग ट्रेडिंग कं. लि.
(ग) हांगझाओ डिगहेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.
(घ) हांगझाओ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं. लि.
(ङ) जिनाग्सु अल्चा एल्युमीनियम कं. लि.

(च) जिनाग्सु डिग्शेंग न्यू मैटेरियल ज्वाइंट स्टॉक कं. लि.

(छ) लोफ्टन एन्वायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी कं. लि.

(ज) किंगदाओ लोफ्टन एल्युमीनियम फोयल कं. लि.

(झ) लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग)

(ञ) झेजियांग झौंगजिन एल्युमीनियम इंडस्ट्री कं. लि.

(ट) झेजियांग जीकेओ न्यू मैटेरियल कं. लि.

64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लोफ्टन एन्वायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी कं. लि. के अलावा किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने एमईटी का दावा नहीं किया है।

<u>बाजार अर्थव्यवस्था दावों की जांच</u>

65. यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1, पैरा 8 के अनुसार किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंड किया जा सकता है, यदि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातक (निर्यातकों) पैराग्राफ 8 में उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर सूचना और पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराता है तथा इसे प्रतिकूल साबित करता है। चीन गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था ट्रीटमेंट के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं, ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंड पर विचार कर सके कि क्याः

क. कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन और निवेश सहित मूल्यों, लागतों और निवेशों के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य में संबंधित फर्मों के द्वारा बाजार के संकेतों के प्रत्युत्तर में आपूर्ति और मांग को दर्शाते हुए तथा इस बारे में राज्य के हस्तक्षेप के बिना निर्णय किए जाते हैं तथा क्या बृहद निवेशों की लागतें बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाती हैं।

ख. ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली काफी विकृति के अध्यधीन है, विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते डालने, विनिमय व्यापार तथा ऋणों के मुआवजे के द्वारा भुगतान के संदर्भ में विकृतियों के अध्यधीन है।

ग. ऐसी फर्में दिवालियापन एवं संपत्ति कानूनों के अध्यधीन होती है जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी सुनिश्चितता और स्थिरता की गारंटी देती हैं।

घ. विनिमय दर को बाजार दर पर बदला जाता है।

66. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी के द्वारा जारी किए जांच शुरूआत नोटिस के परिणामस्वरूप चीन गणराज्य के लोफ्टन एन्वायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी कं. लि. ने बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति से संबंधित प्रश्नावली के बारे में तथा निर्यातक की प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दिया है तथा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था अनुमान को खंडित किया है। संबद्ध वस्तुओं के प्रत्युत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उनकी प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों तथा बाजार अर्थव्यवस्था के प्रत्युत्तरों की जांच की गई थी।

67. इसके अलावा, 5 अगस्त, 2016 के पत्र के द्वारा लोफ्टन एन्वायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी कं. लि. ने बाजार अर्थव्यवस्था ट्रीटमेंट के अपने दावे को वापस ले लिया।

68. चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों और उत्पादकों के द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था ट्रीटमेंट दावे को वापस लेने की दृष्टि से प्राधिकारी ने कंपनी के लिए बाजार अर्थव्यवस्था ट्रीटमेंट प्रदान नहीं किया है तथा नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए निर्मित सामान्य मूल्य को स्वीकार किया है।

<u>चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

69. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी ने अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। भारत में चीन जनवादी गणराज्य से आयात किए संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य को बृहद कच्चे माल, घरेलू उद्योग की कीमतों के अनुसार कच्चे माल की लागत, कंवर्जन लागत, ब्याज, घरेलू उद्योग के लिए अनुमत स्तरों पर एसजीए आदि के लिए घरेलू उद्योग के अधिकतम खपत मानदंडों पर विचार करते हुए निर्मित किया गया है। उचित लाभ हेतु ब्याज को छोड़कर बिक्रियों की लागत के *** की अनुमति दी गई है।

ङ. निर्यात मूल्य का निर्धारण

70. वर्तमान जांच में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली (ईक्यू) प्रत्युत्तर दायर किया हैः

(क) अल्चा इंटरनेशनल होल्डिंग लि.
(ख) डिग्शेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज हांगकांग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
(ग) हांगझाओ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं. लि.
(घ) हांगझाओ डिगहेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.
(ङ) जिनाग्सु अल्चा एल्युमीनियम कं. लि.
(च) जिनाग्सु डिग्शेंग न्यू मैटेरियल ज्वाइंट स्टॉक कं. लि.
(छ) लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग)
(ज) लोफ्टन एन्वायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी कं. लि.
(झ) किंगदाओ लोफ्टन एल्युमीनियम फोयल कं. लि.
(ञ) झेजियांग झौंगजिन एल्युमीनियम इंडस्ट्री कं. लि.
(ट) झेजियांग जीकेओ न्यू मैटेरियल कं. लि.

<u>जियांग्सु डिग्शेंग न्यू मैटेरियल ज्वाइंट स्टॉक कं. लि. ("जियांग्सु डिंग्शेंग") और हांगझाओ इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ("डिंग्शेंग आईएंडई") के निर्यात मूल्य का निर्धारण</u>

71. जांच अवधि के दौरान डिंग्शेंग एल्युमीनियम ग्रुप के भीतर तीन कंपनियां नामतः हांगझाओ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं. लि., ("हांगझाओ फाइव स्टार"), जिनाग्सु डिग्शेंग न्यू मैटेरियल ज्वाइंट स्टॉक कं. लि., ("जियांग्सु डिंग्शेंग") और हांगझाओ इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ("डिंग्शेंग आईएंडई") संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई थीं। भारत के लिए संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के संबंध में जियांग्सु डिंग्शेंग, डिंग्शेंग आईएंडई तथा डिंग्शेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं. लि. ("डिंग्शेंग हांगकांग"), डिंग्शेंग एल्युमीनियम ग्रुप के भीतर भारत के लिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने में लगी थीं। सभी पूर्वोक्त कंपनियों ने जांच में भाग लिया है तथा कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की जांच की गई थी।

72. हांगझाओ फाइव स्टार के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का डिंग्शेंग आईएंडई, जियांग्सु डिंग्शेंग और डिंग्शेंग एच. के. के माध्यम से भारत के लिए निर्यात किया गया है। इसके अतिरिक्त, जियांग्सु डिंग्शेंग, उत्पादक और निर्यातक ने डिंग्शेंग आईएंडई, डिंग्शेंग एच. के. माध्यम से भारत के लिए सीधे ही वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अलावा, डिंग्शेंग आईएंडई ने भारत के लिए सीधे तथा डिंग्शेंग एच. के. के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया।

73. डिंग्शेंग एल्युमीनियम ग्रुप ने भारत के लिए पीओआई के दौरान 7 माइक्रोन से कम मोटाई की एल्युमीनियम फोयल का मुख्य रूप से निर्यात किया। तथापि, इसने 9 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 12 माइक्रोन, 20 माइक्रोन जैसी अधिक मोटाई की एल्युमीनियम की कुछ मात्राओं का भारत के लिए निर्यात भी किया।

74. डिंग्शेंग एल्युमीनियम ग्रुप के द्वारा पीओआई के दौरान *** टन का कुल निर्यात किया। अंतर्देशीय परिवहन, समुद्री माल-भाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों, पत्तन और रख-रखाव व्यय तथा नॉन रिफंडेबल वैट के कारण मूल्य समायोजन करने के बाद में फैक्ट्री के बाहर निर्यात मूल्य का निर्धारण किया था। उपर्युक्त निर्यातकों और/अथवा उत्पादकों का पाटन मार्जिन उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाए अनुसार निकाला गया है।

<u>मै. किंगदाओ लोफ्टन एल्युमीनियम फोयल कं. लि., मै. लोफ्टन एन्वायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी कं. लि. और मै. लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग) लि. का निर्यात मूल्य</u>

75. पीओआई के दौरान यह नोट किया कि मै. लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग) लिमिटेड ने अपनी दो संबद्ध कंपनियों नामतः मै. किंगदाओ लोफ्टन एल्युमीनियम फोयल कं. लि. *** मी. टन और मै. लोफ्टन एन्वायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी कं. लि. *** मी. टन के द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के *** मी. टन का निर्यात किया था।

76. लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग) लि. की निर्यात बिक्रियां सीआईएफ/एफओबी/सीएनएफ आधार पर हैं और टीटी/एलसी/सीओडी शर्तों पर हैं। कंपनी ने फैक्ट्री से बाहर निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए समायोजन हेतु अंतर्देशीय परिवहन और समुद्री माल-भाड़ा, पत्तन, रख-रखाव प्रभारों, क्रेडिट व्यय और बैंक प्रभारों, जहां लागू हैं, के लिए व्यय का दावा किया है।

उर्युक्त निर्यातों और/अथवा उत्पादकों का पाटन मार्जिन उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाए अनुसार निकाला गया है।

<u>झेजियांग झौंगजिन एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज कं. लि. का निर्यात मूल्य</u>

77. प्रत्युत्तर की जांच के दौरान यह नोट किया गया था कि उपरोक्त उत्पादक/निर्यातक ने पीओआई के दौरान, भारत के लिए *** मी. टन एल्युमीनियम फोयल का निर्यात किया।

78. कंपनी ने फैक्ट्री से बाहर निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए समायोजन हेतु अंतर्देशीय परिवहन और समुद्री माल-भाड़ा, पत्तन, रख-रखाव प्रभारों, क्रेडिट व्यय और बैंक प्रभारों, जहां लागू हैं, के लिए व्यय का दावा किया है। उपर्युक्त निर्यातों और/अथवा उत्पादकों का पाटन मार्जिन उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाए अनुसार निकाला गया है।

<u>जिंयाग्सु अल्चा एल्युमीनियम कं. लि., चीन (उत्पादक) और अल्चा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि., हांगकांग (निर्यातक) का निर्यात मूल्य</u>

79. कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी के द्वारा विश्लेषण किया गया था। यह नोट किया है कि इस ग्रुप के द्वारा निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के संबंध में प्राधिकारी साथ सहयोग उल्लिखित अपवर्जन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है। यह निम्नानुसार हैः

रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेंसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवोपोरेटर, हीट वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम और उनके पुर्जों सहित हीट एक्सचेंजरों में उपयोग करने के लिए टैरिफ शीर्षक 7607 के अंतर्गत आने वाले 35 एमपीए से अधिक क्षमता के पोस्ट ब्लेजिंग सहित एल्युमीनियम मैंगनीज – क्लैड एल्युमीनियम और/अथवा सिलीकॉन आधारित सिलीकॉन – मैंगनीज सिलीकॉन आधारित अयस्क, चाहे क्लैड हो अथवा अनक्लैड हो।

वर्तमान जांच करने के लिए यह विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर है। इसलिए जियांग्सु अल्चा एल्युमीनियम कं. लि., चीन (उत्पादक) और अल्चा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि., हांगकांग (निर्यातक) द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तर में भरी सूचना वर्तमान

जांच के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक नहीं है और इसके लिए कोई निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

झेजियांग जीकेओ न्यू मैटेरियल कं. लि. का निर्यात मूल्य

वर्तमान जांच में "झेजियांग जीकेओ न्यू मैटेरियल कं. लि." ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है।

यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद निर्यातक अपनी निर्यातक प्रश्नावली में कई प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। इसके अलावा, एक संबद्ध कंपनी नामतः *** (इसके बाद एल्युमीनियम स्टॉक) संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के कार्य में लगी है। निर्यातक ने यह दावा किया कि संबद्ध कंपनी, "एल्युमीनियम स्टॉक" ने पीओआई के दौरान भारत को लिए उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। तथापि, निर्यातक द्वारा इसे प्रमाणित करने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रौद्योगिकी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी के द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद निर्यातक ने प्रासंगिक सूचना दायर नहीं की है। परिणामस्वरूप, और उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अलग-अलग निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं और झेजियांग जीकेओ न्यू मैटेरियल कं. लि., चीन गणराज्य के लिए अलग से मार्जिन स्वीकृत नहीं करते हैं।

चीन जनवादी गणराज्य से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। चीन जनवादी गणराज्य के सभी असहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी मार्जिन सारणी में यथा दर्शाई सबसे अच्छी उपलब्ध सूचना के आधार पर उनके निर्यात मूल्य का निर्धारण किया।

च. पाटन मार्जिन का निर्धारण

81. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भारत के निर्यात मूल्य (निर्यातक के द्वारा दावे किए गए तथा प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत किए गए सभी समायोजनों का निवल) की तुलना सामान्य मूल्य के साथ की गई है। संबद्ध देश से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए

पीओआई के दौरान पाटन मार्जिन नीचे दी गई सारणी में उपलब्ध किए अनुसार निर्धारित किया गया हैः

तालिका-3

पाटन मार्जिन सारणी					
उत्पादक	**निर्यातक**	**सामान्य मूल्य**	**निर्यात मूल्य**	**पाटन मार्जिन**	**पाटन मार्जिन %**
झेजियांग झौंगजिन एल्युमीनियम इंडस्ट्री कं. लि.	झेजियांग झौंगजिन एल्युमीनियम इंडस्ट्री कं. लि.	***	***	***	50-60
मै. किंगदाओ लोफ्टन एल्युमीनियम फोयल कं. लि. मै. लोफ्टन एन्वायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी कं. लि.	मै. लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग) लिमिटेड	***	***	***	50-60
मै. हांगझाओ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं. लि. मै. जिनाग्सु डिग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कं. लि. मै. हांगझाओ डिगहेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	हांगझाओ डिगहेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि., डिग्शेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड मै. जिनाग्सु डिग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कं. लि.	***	***	***	20-30
अविशिष्ट अन्य		***	***	***	60-70

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

82. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. याचिकाकर्ता की वास्तविक उत्पादन क्षमता और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आकड़ों के बीच अंतर है। आधार वर्ष 2011-12 में याचिकाकर्ता की क्षमता 100 बिंदु से बढ़कर जाँच अवधि के दौरान 114 हो गई है।

ii. घरेलू उद्योग ने गैर पीयूसी का उत्पादन करके अपनी क्षमता का काफी हद तक उपयोग किया है और उसकी घोषणा नहीं की है। घरेलू उद्योग ने काफी हद तक अपनी क्षमता का उपयोग किया प्रतीत होता है परंतु उसकी घोषणा नहीं की गई है।

iii. याचिकाकर्ता आयातों के कारण उन्हें हुई किसी क्षति को सिद्ध करने में विफल रहा है। उनके स्वयं के आकड़े दर्शाते हैं कि वे घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं रखते हैं।

iv. निर्यातकों की संबद्ध वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया और घरेलू उद्योग की प्रक्रिया के बीच अंतर है जिससे उत्पादन लागत *** भारतीय रूपया(आईएनआर)/मी.टन बढ़ जाती है। हिंडाल्कों से उनके आकड़े मांगे जा सकते हैं क्योंकि उनका संयंत्र नया और हाई-टेक है।

v. मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। यदि उद्योग 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर भी चलता है तो भी वह उद्योग की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। मांग लगातार बढ़ रही है उसमें आधार वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उद्योग बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ है। मांग आगामी वर्षों में और बढ़ेगी। इसलिए घरेलू उद्योग में वस्तुओं के उपलब्ध नहीं होने के कारण आयात किए गए हैं। यदि घरेलू उद्योग पूरी क्षमता पर भी कार्य करे तो भी वह घरेलू उद्योग कुल मांग का केवल *** ही पूरा कर पाएगा। पीओआई के दौरान मांग-पूर्ति का अंतर *** प्रतिशत रहा था।

vi. घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान निरंतर आधार पर बाजार में अपना हिस्सा बनाये रहा है क्योंकि वह 2011-12 में 21.70 प्रतिशत था और पीओआई के दौरान वह 21.02 प्रतिशत था जिसमें मामूली गिरावट आई है। यह भी बताया गया है कि घरेलू उद्योग अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा यथा अपेक्षित गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने में विफल रहा है। अंतः आयातकों को उसका आयात करना पड़ा है।

vii. यह स्पष्ट है कि उत्पादन की मात्रा के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। कीमत संबंधी कोई प्रभाव नहीं है।

viii. आयात कीमत निरंतर बढ़ रही है और कच्ची सामग्री आदि की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उसमें मामूली गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को इसके कारण कोई क्षति नहीं हुई है। कीमत कटौती का निर्धारण निराधार है क्योंकि वह कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाये गए वित्तीय परिणामों के विरोधाभासी है।

ix. कम कीमत पर बिक्री संबंधी विश्लेषण को घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के निर्धारण के कारक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वह संगत तब होता है जब निर्धारित हो कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है अरौर शुल्क की राशि निर्धारित की जानी है।

x. कोई कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री नियमित रूप से बढ़ रही है और कंपनियों के वित्तीय परिणामों में तर्कसंगत लाभ दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रदत्त आकड़ों में छेड़छाड़ की गई है।

xi. चीन जन. गण. से निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करते समय निराधार समायोजन किए गए हैं। निर्यातक के वास्तविक आकड़ों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

xii. घरेलू उद्योग को क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्री के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। उद्योग की लाभप्रदता में आंतरिक कारणों की वजह से कमी आई है। लाभप्रदता में

गिरावट को मूल्यह्रास लागत, आंतरिक व्यय और याचिकाकर्ता के नीतिगत निर्णय से संबधित हैं। यदि क्षति उच्च मूल्यह्रास लागत की वजह से हुई है तो शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। सभी कंपनियों के अलग-अलग विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी कंपनियों ने अपने मूल्यह्रास को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है।

xiii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के मुकाबले लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय को तथ्यों को तोड़-मरोड़कर ज्ञात किया गया है जैसा कि उनकी संबंधित वार्षिक रिपोर्टों से प्रदर्शित हो रहा है।

xiv. घरेलू उद्योग ऋणात्मक कार्य निष्पादन कर रहा है चाहें शुल्क लागू हों अथवा नहीं। इससे कुछ आंतरिक समस्याओं का पता चलता है। कोई न कोई कारण अवश्य होगा कि कंपनी को फोइल क्षेत्र में घाटा क्यों हो रहा है।

xv. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है।

xvi. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को अल्मुनियम श्रृंखला में इनगाट से शुरू होकर पीयूसी तक अनेक प्रभाव प्राप्त हुए हैं। ऐसी संभावना है कि हिंडाल्को पीयूसी की कीमत को इनगाट से शीट स्तर आदि तक अंतरित कर रहा है। इसलिए इनगाट या शीट डिवीजन के बजाय पीयूसी में घाटा दिखा सकता है। इसलिए क्षति का दावा विवादास्पद है।

xvii. अनेक उपभोक्ता अल्मुनियम कंटेनर का उपयोग छोड़कर प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग करने लगे हैं इसलिए इसे क्षति के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

xviii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आकड़े विकृत और त्रुटिपूर्ण हैं ताकि सीओपी, एनएसआर और लाभप्रदता और कीमत प्रभाव दर्शाएं जा सकें।

xix. घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया निर्यातकों की तुलना में अलग है।

xx. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंडों में कोई कमी नहीं आई है। बिक्री, उत्पादन और बिक्री मूल्य में कोई कमी नहीं आई है। क्षमता और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। निवल

स्थिर परिसम्पत्ति में भारी वृद्धि हुई है परंतु तथापि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2013-14 में क्षमता में संगत वृद्धि नहीं हुई है।

xxi. स्टाक/मालसूची, रोजगार और मजदूरी और वृद्धि - इन मापदंडों की वजह से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। बजाय इसके, घरेलू उद्योग ने स्वयं ही 2013-14 के दौरान अपनी स्थापित क्षमता में 59,281 मी.टन से मी.टन की कमी की है।

<u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

83. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष के बाद से काफी बढ़ गए हैं। संबद्ध देश से आयात मात्रा अन्य देशों से आयातों की तुलना में बढ़ गई है और भारतीय उत्पादन की तुलना में भी इसमें वृद्धि हुई है।

ii. चूंकि अल्मूनियम फोइल के विभिन्न प्रकारों के बीच लागत और कीमत में काफी अंतर होता है इसलिए याचिकाकर्ताओं ने भारत में आयातित प्रत्येक प्रकार की संबद्ध वस्तु के लिए अलग-अलग कीमत कटौती निर्धारित की है। भारित औसत आयात कीमत (मूल सीमाशुल्क को जोड़ने के बाद) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप भारी कीमत कटौती हुई है।

iii. संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ रहा है।

iv. विचाराधीन उत्पाद की मांग घरेलू उद्योग की उत्पादन की और बिक्री की क्षमता से काफी अधिक है। अंत: घरेलू उद्योग को काफी उच्च स्तर का क्षमता उपयोग प्राप्त कर लेना चाहिए था। तथापि, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग देश में उत्पाद के पाटन के कारण काफी निम्न स्तर पर रहा था। इसके अलावा घरेलू उद्योग द्वारा जो भी मात्रा बेची गई, उसे भी काफी घाटे वाली कीमतों पर बेचना पड़ा है। घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत दोनों प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है।

v. भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है। इसके अलावा कुल आयातों में अन्य देशों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान भी कमी आई है। मांग में वृद्धि और नई क्षमता की शुरूआत के बावजूद घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में असमर्थ रहा है।

vi. घरेलू उद्योग को 2012-13 से वित्तीय घाटे उठा रहा है और ऐसे घाटे पाटित आयातों में वृद्धि के साथ बढ़ रहा है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के नकद लाभ प्रतिकूलतः प्रभावित हो रहे हैं। नकद लाभ में कुछ समय में इतनी गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को पीओआई के दौरान भारी नकद घाटा उठाना पड़ रहा है। नियोजित पूंजी पर आय में भारी कमी आई है और 2012-13 के बाद से वह ऋणात्मक हो गई है। पीओआई में आय में भारी गिरावट आई है।

vii. लाभ में गिरावट मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि से काफी अधिक है। इसके अलावा, यह समझा नहीं गया है कि मूल्यह्रास और ब्याज लागतों में वृद्धि को "अन्य कारकों" की श्रेणी में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरी और, उपभोक्ताओं ने यह दलील दी है कि ब्याज लागत और मूल्यह्रास बढ़ गया है। यदि उद्योग के पास पुराना संयंत्र होता तो यह स्वाभाविक था कि उसे बदलने में मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि होगी।

viii. घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद की मालसूची का स्तर काफी मात्रा में है जो क्षति अवधि में काफी अधिक बढ़ गया है।

ix. संबद्ध देश का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनो न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक बल्कि काफी अधिक है।

x. पीयूसी की उत्पादन सुविधा का उपयोग अन्य उत्पादों के निर्माण में नहीं किया जा सकता है। जहां तक विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन सुविधाओं का संबंध में ये वास्तव में समर्पित उत्पादन सुविधाएं हैं।

xi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दलील देते हुए कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं दी गई है कि निर्यातक की उत्पादन प्रक्रिया और घरेलू की प्रक्रिया अलग-अलग है। इसके अलावा यह

सिद्ध करने के लिए कोई सत्यापन योग्य सूचना प्रदान नहीं की गई है कि कथित अंतर का अर्थ उत्पादन लागत में *** पीएमटी का अंतर होना है। यह विवरण बिना किसी सत्यापन योग्य सूचना/साक्ष्य के मान्यताओं और कल्पनाओं पर आधारित है।

xii. कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि घरेलू उद्योग को उसकी मौजूदा स्थिति में देखा जाना चाहिए।

xiii. वार्षिक रिपोर्ट में विचाराधीन उत्पाद की सूचना नहीं दी गई है बल्कि उसमें समग्र रूप से कंपनी का कार्य निष्पादन दर्शाया गया है जिसमें अन्य उत्पाद शामिल हैं और इस प्रकार उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी को वास्तविक आकड़े उपलब्ध कराए हैं जिनका पर्याप्त और समुचित रूप से प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।

xiv. हितबद्ध पक्षों के इस दावे के संबंध में कि इस बात की संभावना है कि हिंडाल्को विचाराधीन उत्पाद की अपनी कीमत को इनगाट से शीट स्तर आदि को अंतरित कर रहा है, प्राधिकारी कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों पर विचार करेंगे। यदि कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्ड उत्पादन लागत पर आधारित होंगे तो प्राधिकारी उन पर तर्कसंगत लाभ की अनुमति देंगे।

xv. अब तक यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मांग-पूर्ति का अंतर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने का आधार नहीं है। पाटनरोधी शुल्क निर्यातकों द्वारा की गई अनुचित व्यापार प्रक्रिया के विरूद्ध लगाया जाता है और उसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करना है। वह व्यापार को प्रतिबंधित नहीं करता है। इसके अलावा जैसा पहले बताया गया है कि घरेलू उद्योग सभी प्रकार के अल्मुनियम फोइल का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है। इस प्रकार पीयूसी से किसी उत्पाद को बाहर रखना और तत्पश्चात आयात आकड़ों से बाहर रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

xvi. याचिका स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और यह कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं। यद्यपि इस अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है तथापि आयात कीमत में

पीओआई में कमी आई है। इसके अलावा यद्यपि 2013-14 तक आयात कीमत में वृद्धि हुई है तथापि आयात कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही है।

xvii. ब्याज, मूल्यह्रास या ऐसी किसी अन्य लागत में वृद्धि या कमी की कंपनी द्वारा उसकी बिक्री कीमत बढ़ाने की क्षमता या अक्षमता के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं है। य़पि मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि कंपनी को कीमत बढ़ाने को बाध्य करती है तथापि उससे उसकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमत को घटाने या बढ़ाने की क्षमता देश में उत्पाद के पाटन पर निर्भर करती है और न कि ब्याज, मूल्यह्रास या ऐसी किसी अन्य लागत में वृद्धि या कमी पर।

xviii. प्राधिकारी कम कीमत पर बिक्री को क्षति का एक प्रमुख कारक मानते हैं। इसके अलावा जैसा हितबद्ध पक्षों ने बताया है कम कीमत पर बिक्री की गणना शुल्क की राशि अर्थात पाटित आयातों के कारण हुई क्षति की भरपाई करने के लिए अपेक्षित राशि के निर्धारण के लिए अपेक्षित है। इस प्रकार, इस गणना से वास्तव में उद्योग को हुई क्षति दर्शाई गई है। इस प्रकार सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तव में क्षति हुई है। अन्य क्षेत्राधिकार भी इस मापदंड को घरेलू उद्योग को हुई क्षति को निर्धारित करने वाला मापदंड मानते हैं।

xix. पीओआई में याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन *** है। इस प्रकार सीमाशुल्क में *** की वृद्धि के सिद्धांत का अर्थ अनुपातिक रूप से क्षति मार्जिन में कमी होना है। फिर भी क्षति मार्जिन काफी अधिक बना हुआ है।

xx. योग्यता संबंधी अपेक्षा को पूरा करने के लिए यह दर्शाया जाना अपेक्षित है कि आवेदन को ऐसे उत्पादकों को समर्थन प्राप्त है जिनका संचयी उत्पादन भारत में कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है। प्राधिकारी का योग्यता पर विचार में पीजी फोइल के उत्पादन में हिस्से पर विचार करना सही है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

84. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध को नोट किया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच की है।

85. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त आकड़ों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आकड़ों में अंतर के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के निष्कर्ष सत्यापित आकड़ों पर आधारित हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक विवरण प्राधिकारी द्वारा सत्यापित आकड़ों पर आधारित निष्कर्ष को बदल नहीं सकते हैं।

86. उत्पादन प्रक्रिया में अंतर संबंधी अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्रयुक्त प्रक्रिया में अंतर तब तक अलग उत्पाद नहीं बनाती है जब तक परिणामी ग्रेड अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से अलग न हों। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाते समय आदर्श स्थिति पर विचार न करके घरेलू उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों में विचार करना होता है।

87. क्षति की गैर-मौजूदगी के संबंध में, इसमें किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः स्पष्ट यह सिद्ध करता है कि पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

88. इस तर्क के संबंध में याचिकाकर्ता कंपनियां गैर-पीयूसी के उत्पादन के अलए क्षमताओं का उपयोग कर रही है यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए क्षमताएं समर्पित हैं। इसलिए हितबद्ध पक्ष का तर्क गलत है।

89. मूल सीमाशुल्क में अतिरिक्त संरक्षण में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य आम तौर पर पाटन की अनुचित प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके। सीमाशुल्क में वृद्धि को देश में पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा की अनुमति देने का आधार नहीं माना जा सकता है।

90. प्लास्टिक कंटेनर की मांग में परिवर्तन के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पादन की मांग में क्षति अवधि के दौरान काफी वृद्धि की है।

91. इस तर्क के संबंध में कि अन्य उत्पादों के कारण घाटा हुआ है प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों की कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग के प्राधिकारी द्वारा कार्य निष्पादन के आकलन को प्रभावित नहीं करता है। प्राधिकारी द्वारा केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विचार किया गया है।

92. इस तर्क के संबंध में ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव ब्याज और मूल्यह्रास में वृद्धि के कारण हुआ है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने मूल्यह्रास और ब्याज में वृद्धि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण की कार्रवाई की है। यह पाया गया था कि संबद्ध देश से आयात अब भी घरेलू कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं।

93. इसके अलावा, कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट जैसे सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलते हैं कि उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

94. इस अनुरोध के संबंध में कि अलग क्षति विश्लेषण की आवश्यकता है प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुसार क्षति घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप में निर्धारित की जानी चाहिए। इस तर्क के संबंध में कि लाभप्रदता ब्याज और मूल्यह्रास में वृद्धि के कारण हुई है यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने मूल्यह्रास और ब्याज में वृद्धि के प्रभाव के आकलन के बाद विश्लेषण किया है। यह पाया गया है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।

95. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जाँच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत समझे जाने पर उनकी जाँच और समाधान निम्नानुसार किया गया है :

96. पाटनरोधी नियमावली में प्राधिकारी के लिए मात्रा और कीमत दोनों प्रभावों की जाँच करके क्षति की जाँच करना अपेक्षित है। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख)ऐसी वस्तुओं के

घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

97. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

98. ऐसा जरूरी नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड विकृति दर्शाएं। कुछ मापदंड विकृति दर्शा सकते हैं जबकि कुछ सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति संबंधी सभी मापदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने अनुरोधों में दिए गए तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जाँच की है।

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यवहार्य सीमा तक समान वस्तु के संबंध में सूचना प्रदान की गई है और वह अलग उपलब्ध है। चूंकि कुछ याचिकाकर्ता कंपनियां बहु-उत्पाद कंपनियां हैं इसलिए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पादन के संबंध में सूचना और याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर भरोसा किया है। इस संबंध में प्रकाशित याचिकाकर्ता कंपनियों के

वित्तीय परिणामों की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं है बल्कि इन कंपनियों के समग्र कार्यनिष्पादन से संबंधित है।

<u>मांग का आकलन</u>

100. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग को भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

तालिका-4

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	14,259	12,737	12,551	16,037
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*89*	*88*	*112*
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	13,446	12,552	13,500	14,892
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*93*	*100*	*111*
कुल घरेलू बिक्री	मी.टन	27,705	25,289	26,051	30,929
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*91*	*94*	*112*
आयात - संबद्ध देश	मी.टन	37,953	40,740	45,499	60,911
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*120*	*160*
आयात - अन्य देश	मी.टन	13,182	7,316	8,349	8,284
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*56*	*63*	*63*
कुल मांग	मी.टन	78,839	73,345	79,899	100,124
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*93*	*101*	*127*

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

<u>आयात मात्रा और बाजार हिस्सा</u>

101. पाटित आयातों के मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

तालिका-5

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
आयात मात्रा					
संबद्ध देश - चीन	मी.टन	37,953	40,740	45,499	60,911
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*120*	*160*
अन्य देश	मी.टन	13,182	7,316	8,349	8,284
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*56*	*63*	*63*
कुल आयात	मी.टन	51,134	48,056	53,848	69,195
बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश - चीन	%	74	85	84	88
अन्य देश	%	26	15	16	12
कुल आयात	%	100	100	100	100
मांग के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	48	56	57	61
भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	97	108	115	144

102. यह नोट किया जाता है कि

i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

ii. संबद्ध देश से आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के संबंध में वृद्धि हुई है।

iii. संबद्ध देश से आयात क्षति अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ गये हैं।

<u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

<u>कीमत कटौती</u>

103. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत को काफी अधिक कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी उच्च स्तर तक बढ गई होती।

104. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्राधिकारी ने आयात की पंहुच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की है। इस संबंध में उत्पाद के पंहुच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों के निवल रूप में तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमत कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित की गई थी। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की कीमतों में भारी अंतर है। इसलिए प्राधिकारी ने तुलनीय किस्मों की घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की आयातों के पहुच मूल्य के साथ तुलना की है। इस प्रकार, संबद्ध आयात मात्राओं पर विचार करने के बाद भारित औसत कीमत कटौती निर्धारित की गई है। तुलना से पता चला है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश के मूल की संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में ऐसी कीमतों पर आयात की गईं जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हुई है और कटौती का मार्जिन निम्नांकित तालिका के अनुसार दर्शाया गया है : आयातों द्वारा बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की गई है।

तालिका-**6**

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
आयातों की पंहुच कीमत	रू./किग्रा.	190.68	205.47	213.84	209.33
प्रवृति		100	108	112	110
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति		100	100	101	102
कीमत कटौती	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति		100	31	3	38
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	10-20	0-10	0-10	0-10

<u>कम कीमत पर बिक्री</u>

105. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की गई कम कीमत पर बिक्री की भी जॉच की है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना उत्पाद की प्रत्येक किस्म की पंहुच कीमत के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की भारित औसत क्षतिरहित कीमत की तुलना आयातों की भारित औसत पंहुच कीमत के साथ करने पर निम्नानुसार पता चला है :

तालिका-**7**

विवरण	इकाई	राशि रू. में
		चीन जन. गण.
आयातों की पंहुच कीमत	रू./किग्रा.	209.33
क्षतिरहित कीमत	रू./किग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	रू./किग्रा.	***
आयातों की पंहुच कीमत	डा./किग्रा.	3.37

क्षतिरहित कीमत	डा./किग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	डा./किग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	% रेंज	20-30

यह देखा गया है कि चीन से संबद्ध वस्तु की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से काफी कम है।

<u>कीमत ह्रास/न्यूनीकरण</u>

106. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण हो रहा है और क्या ऐसे आयातों की कीमत में भारी कमी की गई है अथवा जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों मे परिवर्तनों पर विचार किया है। इस स्थिति को नीचे तालिका के अनुसार दर्शाया गया है :

तालिका-**8**

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
आयातों की पंहुच कीमत	रू./किग्रा.	190.68	205.47	213.84	209.33
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*112*	*110*
उत्पादन लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*111*	*132*	*132*
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*101*	*102*

यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लागत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागत के अनुपात में नहीं बढ़ी है। इस प्रकार, आयातों से बाजार में

घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है और ऐसी कीमत वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा बढ़ गई होती।

ञ. **<u>घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड</u>**

107. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।

108.तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों की निम्नानुसार जॉच की गई है।

<u>I. बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग</u>

109. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार रहा था :

क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

तालिका -9

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
स्थापित क्षमता	मी.टन	34,000	53,031	36,754	36,754
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*156*	*108*	*108*
उत्पादन	मी.टन	15,532	14,677	13,283	17,077
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*94*	*86*	*110*
क्षमता उपयोग	%	46%	28%	36%	46%

प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*61*	*79*	*102*
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	14,259	12,737	12,551	16,037
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*89*	*88*	*112*
मांग	मी.टन	78,839	73,345	79,899	100,124
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*93*	*101*	*127*

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, उतपादन और बिक्री में वृद्धि भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि से काफी कम है। भारत में विचाराधीन की मांग में उत्पादन और बिक्री में क्रमश:10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि नहीं हो पाई है और उसमें आधार वर्ष से कोई वृद्धि नहीं हुई है।

II. मांग में बाजार हिस्सा

111. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की निम्नानुसार जॉच की गई है:

तालिका-10

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
घरेलू उद्योग	%	18	17	16	16
अन्य भारतीय उत्पादक	%	17	17	17	15
समग्र रूप से भारतीय उत्पादक	%	35	34	33	31
संबद्ध देश	%	48	56	57	61
अन्य देश	%	17	10	10	8

112. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में मामूली गिरावट आई है जबकि संबद्ध देश के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। इसके अलावा, अन्य देशों के बाजार हिस्से में भी क्षति अवधि में गिरावट आई है। चीन से सकारात्मक कीमत कटौती और बाजार हिस्से में वृद्धि पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में चीन जन. गण. से पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कमी आई है।

III. <u>लाभ/हानि, नकद प्रवाह, नियोजित पूंजी पर आय</u>

113. घरेलू उद्योग के लाभ/हानि, नकद प्रवाह और निवेश पर आय का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :

तालिका -11

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
बिक्री लागत	रू/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*111*	*132*	*132*
बिक्री कीमत	रू/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*101*	*102*
लाभ/हानि	रू/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*-318*	*-1,041*	*-965*
लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*-280*	*-908*	*-1,078*
पीबीआईटी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*-77*	*-358*	*-365*
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*-104*	*-384*	*-446*
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*-23*	*-81*	*-102*

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में लाभ अर्जित किया है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तत्पश्चात गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है जिसमें पीओआई में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान निवेश पर आय में लाभ जैसी ही प्रवृति रही है। ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) में ऋणात्मक स्तर तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के लिए निवेश पर आय (आरओआई) ऋणातमक स्तर तक घट गए हैं। नकद लाभ में भी लाभ के समान ही प्रवृति रही है। नकद लाभ में आधार वर्ष से गिरावट आई जिसमें जॉच अवधि में और कमी आई है।

IV. <u>रोजगार और मजदूरी</u>

115. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-**12**

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*68*	*83*
मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*76*	*91*
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./सं.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*87*	*125*	*133*

116. यह नोट किया जाता हे कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में 2013-14 में गिरावट आई है और जॉच अवधि के दौरान उसमें वृद्धि हुई है। प्रदत्त मजदूरी में भी वही प्रवृति रही है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

V. <u>मालसूची</u>

117. संबद्ध देशों की माल सूची से संबंधित आकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं :

तालिका-**13**

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
आरंभिक	मी.टन	***	***	***	***
अंतिम	मी.टन	***	***	***	***
औसत	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	284	475	521

118. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लगभग 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

VI. <u>वृद्धि</u>

तालिका-**14**

आधार वर्ष से वृद्धि	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिकीकृत पीओआई
उत्पादन	मी.टन	-	-855	-2,249	1,545
प्रवृत्ति	*%*	-	-6	-14	10
घरेलू बिक्री मात्रा	मी.टन	-	-1,661	-1,806	1,663
प्रवृत्ति	*%*	-	-12	-13	12
बिक्री लागत	रू./किग्रा.	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*%*	-	11	32	32
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*%*	-	-0	1	2
लाभ/हानि	रू./किग्रा.	-	***	***	***

प्रवृत्ति	%	-	-418	-1,141	-1,065
निवेश पर आय	%	-	***	***	***
प्रवृत्ति	%	-	-123	-181	-202
नकद लाभ	लाख रूपए	-	***	***	***
प्रवृत्ति	%	-	-204	-484	-546

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन, घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि जाँच की अवधि के दौरान सकारात्मक थी। बिक्री कीमत, लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध वृद्धि देश में उत्पाद की मांग में सकारात्मक वृद्धि के बावजूद ऋणात्मक रही है। समग्र रूप से, घरेलू उद्योग की वृद्धि क्षति अवधि के दौरान ऋणात्मक रही है।

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में काफी कमी आई है जिससे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

121. यह नोट किया जाता है कि देश में संबद्ध वस्तु के आयात पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और पाटन का मार्जिन काफी अधिक है।

VIII. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

122. संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत संरचना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जिनकी वजह से घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम रहा है, जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है। इस प्रकार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पंहुच मूल्य घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक है।

IX. क्षति संबंधी निष्कर्ष

123. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। आयातों में भारत में उत्पाद के उपभोग और उतपादन के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। पाटित आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।पाटित आयातों का कम कीमत पर बिक्री के अनुसार काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पाटित आयातों का प्रभाव ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना रहा है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग को कम कीमत पर काफी बिक्री करनी पड़ी है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि चीन से पाटित आयातों से उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, मालसूची, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है तथापि उसका उत्पादन, बिक्री मात्रा, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में मांग में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को पीओआई के दौरान नकद घाटा और निवेश पर ऋणात्मक आय से नुकसान हुआ है। प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ट. कारणात्मक संबंध

124. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली में सूचीबद्ध ऐसे अन्य कारकों की जॉच की है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को बढ़ा सकते थ ताकि पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जॉच की जा सके।

I. **तीसरे देशों से आयात**

125. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त संबद्ध वस्तु के आयात आकड़ों की जॉच की है। यह नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से आयात नगण्य हैं और उनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

II. <u>मांग में संकुचन</u>

126. क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में संभावित कमी से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

III. <u>खपत की प्रवृति में परिवर्तन</u>

127. विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: खपत की प्रवृति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

IV **व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

128. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

V <u>प्रौद्योगिकी में विकास</u>

129. संबंधित उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

VI. <u>निर्यात कार्यनिष्पाद</u>

130. घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन और क्षति की जॉच यथासंभव घरेलू कार्यनिष्पादन के संबंध में की गई है। अत: घरेलू उद्योग के निर्यात कार्यनिष्पादन में संभावित विकृति घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

VII. <u>अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन</u>

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों ने प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आकलन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सूचना पर विचार किया गया है।

VII. <u>घरेलू उद्योग की उत्पादकता</u>

132. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता ने उत्पादन के समान रूझान दर्शाया है। उत्पादन में कमी आना घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

ठ. <u>कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक</u>

133. क्षतिअवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण खराबी आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध होता है :

क) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।

ख) कीमत कटौती के कारण आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ग) देश में पाटित आयातों की मौजूदगी लागत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल रही है।

घ) संबद्ध आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की कम कीमत पर बिक्री करवा रहे हैं।

ड़) लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में कमी पाटित आयातों का प्रत्यक्ष प्रभाव रहा है।

च) भारी कीमत कटौती के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में मांग में हुई वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है।

छ) कीमत ओर मात्रा से संबंधित अनेक आर्थिकमापदंडों के अनुसार घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक हो गई है।

प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

ड. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

134. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना जाँच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पंहुच मूल्य के साथ की गई है। निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

<u>तालिका-15</u>

क्षति मार्जिन तालिका					
उत्पादक	निर्यातक	एनआईपी	पंहुच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %
1. झेजिआंग झोंगजिन अल्मुनियम इंडस्ट्री कं. लि.	1. झेजिआंग झोंगजिन अल्मुनियम इंडस्ट्री कं. लि.	***	***	***	50-60
1. मै. किंगडाओ लाफ्टेन अल्मुनियम फोइल कं. लि.	1. लाफ्टेन अल्मुनियम (हांग कांग) लिमिटेड	***	***	***	40-50
2. मै. लाफ्टेन इनवायरमेंटल टैक्नॉलाजी कं. लि.					

1. मै. हैंगझू फाइव स्टार अल्मुनियम कं. लि., 2. मै. जियांगसु डिंगशेंग न्यू मैटेरियल ज्वाइंट स्टाक कं. लि.., 3. मै. हैंगझू डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	1. हैंगझू डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. 2. जियांगसु डिंगशेंग न्यू मैटेरियल ज्वाइंट स्टाक कं. लि. 3. डिंगशेंग अल्मुनियमइंडस्ट्रीज (हांग कांग) ट्रेडिंग कंपनी लि.	***	***	***	20-30
अन्य अवशिष्ट		***	***	***	50-60

ढ. <u>प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणी</u>

135 विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों अर्थात घरेलू उद्योग झेजियांग जीकेओ न्यू मैटिरियल चाइना, स्वाम पैकेजिंग, बिलकेयर रिसर्च, झेजियांग जीकेओ न्यू मैटिरियल चाइना, इंडियन फ्लैक्सिबल पैकेजिंग एंड फोल्डिंग कार्टन मैनुफैक्चरर्स एसोशिएशन, हेन्गझोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लि., जियांग्सू डिंग्सेंग न्यू मैटेरियल ज्वाइंट स्टोक, हैंझोउ डिंगशेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि., डिंग्सेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हाँग काँग) ट्रेडिंग कंपनी लि., वीराम नेचुरल प्रोडक्ट्स, जियांग्सू झोंग्जी लेमीनेशन मेटेरियल कंपनी लि., मैससे झेजियांग झोग्जिन एल्यूमीनियम इंडस्ट्री कंपनी लि., झेजियांग जीकेओ न्यू मैटेरियल चाइना, जियांग्सू अल्चा एल्यूमीनियम कंपनी लि., अल्चा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि., यूपी ट्विगा फाइबरग्लास लि., महले बेहर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नागरीका इंडकॉन प्रोडक्ट्स (पी) लि., इंडिया ओवरसीज एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., नागरीका सिंथेटिक प्रा. लि., नागरीका फॉइल्स लि., इंटरनेशनल ट्रेडर्स, फ्लोरा इंडस्ट्रीज, स्क्राफ्ट प्रोडक्ट्स प्रा. लि., परपल इंकॉरपोरेशन, रॉकड्यू इम्पेक्स, किंगदाओ लॉफ्टन एल्युमीनियम फॉइल कं., लॉफ्टन एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी कं. लि., लॉफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग) लि. और पॉलीकॉम एसोससिएट्स ने प्रकटीकरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं।

<u>निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

136. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

i. उत्पाद टाइप को छूट देने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने अपने तर्क दोहराए हैं। वस्तुएं छूट दी जानी अपेक्षित हैं, नीचे दी गई हैं:

   क. हाउस होल्ड फॉइल, एलॉए एए 8011 में 9 माइक्रोन से 18 माइक्रोन के बीच थिकनेस

   ख. एलॉय 3003 से बनी 34 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के बीच थिकनेस की सेमी रिजिड कंटेनर फॉइल और एल्यूमिनियन फॉइल कंटेनर।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने एलॉय एए 8011 में 9 माइक्रोन से 18 माइक्रोन के बीच थिकनेस की हाउस होल्ड फाइल तथा एलॉय 3003 से बनी 34 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के बीच थिकनेस का सेमी रिजिड कंटेनर तथा एल्युमीनियम फॉइल कंटेनर को छूट देने के लिए अनुरोध किया है।

iii. उत्पादों जिनके लिए छूट मांगी गई है न तो घरेलू उत्पाद द्वारा उत्पादित अथवा इसी प्रकार के उत्पाद हैं और वे प्रतिस्थापनयोग्य नहीं है।

iv. ब्लेंकेट डीलिंग मुद्दे अनौचित्यपूर्ण है और मुद्दों की विशिष्ट और विस्तार से जांच करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

v. उत्पादन की उच्च लागत तथा अपनाई गई अप्रचलित प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया के कारण घरेलू उद्योग को क्षति स्वयं थोपी गई है।

vi. उत्पादन की उच्च लागत तथा अपनाई गई अप्रचलित प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया के कारण घरेलू उद्योग को क्षति स्वयं थोपी गई है।

vii. कोई आवश्यक स्पष्टीकरण जैसे उत्पाद क्षेत्र, पीओआई के लिए समेकित क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों को नहीं दिया गया था।

viii. प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा उद्धरित मामलों को नहीं देखा है क्योंकि वर्टिफाइड टाइल्स अनंतिम जांच परिणाम, एसडीएच अंतिम जांच परिणाम और प्यूरिफाइड टेरेफेथलिक एसिड अंतिम जांच परिणाम।

ix प्राधिकारी से डंपिंग मार्जिन की पीसीएन गणना हेतु पीसीएन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध है।

x प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य कीमत संरचित करने हेतु घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री कीमतों को ध्यान में रखा है परंतु चीन के लिए सामान्य मूल्य संरचित करने हेतु प्रमुख कच्ची सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को नहीं लिया है। सामान्य प्रक्रिया के रूप में प्राधिकारी सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अपनाता है। परंतु वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदान लिए हैं। प्राधिकारी ऐसा करने के कारण स्पष्ट करे।

xi. प्राधिकारी निर्यातकों द्वारा भारत में निर्यातित पीसीएन के लिए संरचित सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन गणना उपलब्ध कराए।

xii. प्राधिकारी कृपया हितबद्ध पक्षकरों की सुनवाई करे।

xiii. एलॉय 8021 का प्रयोग करके 45-60 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉइल का बहुत कम आयात है ताकि यह किसी भी तरह से घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं करेगा।

xiv. लेमिनेट को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह 0% शुल्क का भुगतान करने पर कोरिया से आयातित किया जा रहा है जोकि उद्योग के लिए नुकसानदायक है।

xv. 900-1170 की थिकनेस में 45-60 माइक्रोन एलु एलु स्टॉक यहां तक कि घरेलू उद्योग में एकमात्र उत्पादक द्वारा भी विनिर्माण और आपूर्ति नहीं की थी।

xvi. एफटीए के कारण एलु एलु लेमिनेट पहले ही कोरिया से शुल्क मुक्त आ रहा है। यदि प्रमुख कच्ची सामग्री पर शुल्क लगाया जाता है तो संपूर्ण एलु एलु लेमिनेट उद्योग बंद हो जाएगा।

xvii. नए निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति के कारण प्रस्तावित मौखिक सुनवाई रद्द कर दी गई थी और अगली सुनवाई के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी।

xviii. झीजियांग जीकेओ न्यू मेटेरियल चाइना ने जांच में पूर्ण सहयोग किया है और प्राधिकारी से पूछा है कि यदि एल्युमीनियम स्टॉक प्रश्नावली के उत्तर देता है परंतु प्राधिकारी उनका उत्तर नहीं देता है तो प्राधिकारी का यह गलत मत है कि कई अवसरों के बावजूद निर्यातकों ने संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की। प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा दाखिल उत्तरों की जांच करनी चाहिए और संबंधित पाटन मार्जिन देना चाहिए।

xix तथापि निर्यातकों (जियांग्सू झोंग्जी लेमिनेशन मैटेरियल कंपनी लि.) का नाम ज्ञात निर्यातकों में नहीं है परंतु निर्यातक प्राधिकारी को सभी दस्तावेज और सूचना उपलब्ध कराने के लिए काफी सावधान है। निर्यातक ने सभी लेखा ब्रेकसीट उपलब्ध कराई है और सभी सूचना

उपलब्ध कराई है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से निर्यातकों के नाम सहयोग करने वाले निर्यातकों की सूची में शामिल नहीं किए जाएं।

xx. प्राधिकारी ने इस आधार पर कि घरेलू उद्योग पीयूसी का विनिर्माण कर रहा है, 7 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉइल की छूट देने के लिए अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए बीजकों को गोपनीय माना है अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आपूर्ति की गई वस्तुओं के साक्ष्य के रूप में बीजक उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिए गए थे और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उक्त उपलब्ध कराए गए थे।

xxi. प्राधिकारी को दिए गए आर्डरों की संख्या तथा उपभोक्ताओं द्वारा अस्वीकृत किए गए आर्डरों की जांच मासिक आधार पर करनी चाहिए।

xxii. प्राधिकारी को बीजकों को अगोपनीय बनाना चाहिए तथा उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराना चाहिए।

xxiii. पिनहोल के मुद्दों के संबंध में यह चीनी उत्पादकों की आंतरिक रिपोर्ट है, यह दर्शाती है कि उनके द्वारा आपूर्ति किए गए सामान में पिनहॉल की गणना 100-200 से अधिक नहीं है। यदि आपूर्ति किए गए उत्पाद निर्धारित पिनहॉल्स से अधिक है तो उत्पादन नहीं प्रयोग करने योग्य हो जाएगा। यह पैकेजिंग के उद्देश्य को ही समाप्त करता है और खाद्य को स्टेल बनाता है।

xxiv. 1800 एमएम से कम चौडाई के लिए प्रयुक्त एल्युमीनियम फॉइल की मशीन में 1800 एमएम की एल्युमीनियम फॉइल का प्रयोग नहीं किया जा सकता इसलिए वर्तमान में इसका आयात नहीं किया जाता परंतु भविष्य में आयात किए जाने की संभावना है। वर्तमान में आयात केवल 1614 एमएम तक है। घरेलू उद्योग में अधिक चौड़ाई के एल्यूमिनियम फॉइल का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग में चौड़ाई संबंधी प्रतिबंध है। तदनुसार अधिक चौड़ाई के एल्युमीनियम फॉइल की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

xxv. उत्पादित और आपूर्ति की गई एल्युमीनियम फॉइल में गुणवत्ता संबंधी गंभीर मुद्दा है।

xxvi. मैसर्स हिंडाल्को द्वारा अधिगृहीत नई मशीनें नावेलिस और हिंडाल्को की पुरानी मशीनें हैं और नोवेलिस द्वारा खरीदने के पश्चात प्राप्त की गई है। यदि नई मशीने ली जाती हैं तो कोई भी नई मशीन पूरी तरह से प्रचालनात्मक होने में एक से दो वर्ष लेगी। इसलिए मांग आपूर्ति अंतर को तत्काल पूरा नहीं किया जा सकता।

xxvii. दर्शायी गई क्षमता केवल यूएलजी के लिए नहीं है परंतु अन्य किस्म की वस्तुओं के लिए भी है। इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग अल्ट्रालाइट गोज बनाने में सक्षम है।

xxviii. 7 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फॉइल को संबद्ध उत्पाद के कार्यक्षेत्र से छूट दी जानी चाहिए।

xxix घरेलू उद्योग चेरी पिक्ड रहा है। अन्य उत्पादक जो उत्पादकों के 59% हैं पीजी फॉइल के सपोर्टरों सहित अच्छा निष्पादन कर रहे हैं।

xxx सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए प्राधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों अर्थात एलएमई कीमतों का प्रयोग करना चाहिए।

xxxi. सामान्य मूल्य की गणना के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्राधिकारी की अपनाई गई प्रक्रिया रही है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग आदान लागत का प्रयोग करे।

xxxii. प्राधिकारी यह प्रकट करने में विफल रहा है कि सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग की उच्च ब्याज दर को इसने कारक माना है।

xxxiii. क्षति निर्धारण से संबंधित अधिकांश आंकड़े निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गोपनीय रखे गए हैं और वे याचिका में प्रकट हैं । ऐसे कई जांच परिणाम हैं जिनमें प्राधिकारी ने क्षति प्राचलों से संबंधित आंकड़े प्रकट किए है।

xxxiv. विशेष रूप से रविराज फॉइल्स की छूट के पश्चात अन्य हितबद्ध पक्षकार को आंकड़ों को समझने की जरूरत है। प्राधिकारी को अवास्तविक की बजाए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए।

xxxv. प्रकटीकरण विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी ने जांच के कार्यक्षेत्र से वस्तुओं को बाहर करने के पश्चात संशोधित आयात आंकड़ों का प्रयोग किया है।

xxxvi. क्षति मात्र आयात के रूख से नहीं देखी जा सकती परंतु इसका घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रयोग होना चाहिए।

xxxvii. जांच के कार्यक्षेत्र से कई वस्तुओं को छूट देने के बावजूद याचिका में दर्शाए गए की अपेक्षा आयात की मात्रा अधिक है।

xxxviii. घरेलू उद्योग काफी अच्छा कर रहा है और अपने उत्पादन और वित्तीय व्यय से वृद्धि करने में सक्षम है। घरेलू उद्योग बाजार की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि इसने अपनी क्षमता 30% तक घटा दी है।

xxxix पिछले वर्ष की तुलना में आयात में मामूली वृद्धि हुई है परंतु लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। इन दानों के बीच कोई संबंध नहीं है।

xl. लाभप्रदता में गिरावट अन्य घटकों के कारण है। प्राधिकारी यह घोषित करने में विफल रहा है कि इसने लाभप्रदता के प्रभाव के संबंध में मूल्यह्रास और ब्याज में वृद्धि को कारक माना है।

xli. कोई आकस्मिक लिंक नहीं है क्योंकि जब पीओआई में आयात में वृद्धि होती है और उसी वर्ष उत्पादन तथा घरेलू उद्योग की बिक्री में भी वृद्धि होती है। घरेलू उद्योग को अधिक क्षति नहीं हो रही है।

xlii. निर्यातक क्लेड विद कंपेटिबल नॉन क्लेड एल्युमीनियम फॉइल की छूट के लिए प्राधिकारी का धन्यवाद करते हैं।

xliii. अंतिम जांच परिणाम जारी करते समय इसे ध्यान में रखने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध है।

xliv. प्राधिकारी ने एल्युमीनियम फॉइल कंपोजिट की छूट दे दी है परंतु उत्पाद के विवरण में कुछ संशोधन करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध है।

xlv. एल्युमीनियम फॉइल कंपोजिट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक सामान्य शब्द है और आयातकों द्वारा आयातित उत्पाद की विशेषता नहीं बताता।

xlvi. याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि आयातक द्वारा उत्पादित आयात को जांच के कार्यक्षेत्र से छूट दी जा सकती है।

xlvii. उत्पाद जिसे छूट दी जानी चाहिए ' एल्यूमीनियम फॉइल लेमीनेटेड विद ओर बैक्ड विद वेरियस कम्बीनेशन ऑफ ग्लास स्क्रिम एंड/ओर क्राफ्ट पेपर एंड/ओर ग्लास क्लोथ विद ओर विदआउट पोली एथिलीन, चाहे प्रिंटेड हो अथवा प्रिंटेड नहीं हो" है।

xlviii. और/अथवा क्राफ्ट पेपर और ग्लास क्लॉथ से पहले शामिल किया जाना चाहिए। बेक्ड विद वेरियस कम्बीनेशन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

xlix प्राधिकारी ने एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित एलॉय, चाहे क्लेड अथवा अनक्लेड हो, छूट दे दी है। उत्पाद का विवरण इस तथ्य के आधार पर विवरण की सूची में शामिल किया जाना चाहिए कि सीमा शुल्क स्वीकृति के समय प्राधिकारी उत्पाद की जांच करते हैं।

l. जांच के समय यदि उपरोक्त एलॉय उत्पाद अर्थात एल्यूमीनियम मेग्नीज और/अथवा सिलिकॉन है तो प्रक्रिया अधिक सीधी है।

li. यदि कुल भारतीय उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है तो घरेलू उद्योग का कुल हिस्सा केवल 24.5% है जो 25% की सीमा से कम है। भारतीय उत्पादन प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए आंकड़ों से काफी अधिक है। सभी आंकड़े गोपनीय रखे जाते हैं जो इस पक्ष पर उचित टिप्पणी करने के लिए व्यवहार्य नहीं है।

lii. ऐसा कोई अकेला आयातक नहीं है जो कच्ची सामग्री अर्थात एल्यूमीनियम फॉइल कंटेनर (एएफसी) अथवा एल्यूमीनियम फॉइल रोल्स (एएफआर)/ के एसआरसी/एचएचएफ का आयात करता है।

liii. एसआरसी की अधिकांश मांग एलॉय 3003 की है, जिसका भारत में किसी के द्वारा भी विनिर्माण नहीं किया जाता है।

liv. जिंदल एल्यूमीनियम और गुजरात फॉइल्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे एलॉय 3003 तक बनी एसआरसी की आपूर्ति नहीं कर सकते।

lv. एलॉय 3003 गैर-प्रतिस्थापनयोग्य है क्योंकि क्वालिटी संबंधी गंभीर चिंता है।

lvi. आयात एसआरसी की मात्रा अन्य संबद्ध उत्पादन की तलुना में बहुत कम है जबकि आयात का 60%यूएलजी है।

lvii. घरेलू उद्योग में घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है और घरेलू उद्योग की दर्शायी गई क्षमता को बढ़ाकर दिखाया गया है।

lviii. एसआरसी फॉइल पर लगाए गए 2.5% से अधिक का कोई भी पाटनरोधी शुल्क है तो इससे गंभीर असामान्यता होगी जिससे वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम करना होगा।

lix एलॉय 3003 से बनी 34 और 80 थिकनेस तथा एलॉय एए8011 में 9 से 18 माइक्रोन के बीच एचएचएफ के बीच की एसआरसी फॉइल।

lx एल्युमीनियम फॉइल लेमिनेट, जिसका प्रयोग केवल विनिर्माताओं दवारा किया जाता है, के विनिर्माता। उक्त वस्तुओं का बाजार में एक मात्र आपूर्तिकर्ता अर्थात हिंडाल्को है। शुल्क लगाने के पश्चात यह बहुत कठिन होगा क्योंकि उक्त वस्तु खरीदने के लिए केवल एक स्रोत रहेगा।

<u>घरेलू उद्योग दवारा अनुरोध</u>

137. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए अनुसार अनुरोध किया हैः

i. घरेलू उद्योग दस्तावेज जैसे क्षतिरहित कीमत का ब्यौरा निर्यातकों (अगोपनीय रुपांतरण) की जांच रिपोर्ट प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजे गए पत्र और उनके उत्तर उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध करता है। दस्तावेज घरेलू उद्योग को उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वे संबंधित टिप्पणियां कर सकें।

ii. उचित कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए छूट दी गई वस्तुओं पर विस्तृत स्पष्टता देने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध है।

iii. सीमा शुल्क वर्गीकरण सूचक मात्र है। केवल शुल्क तालिका की विषय-वस्तु संगत है। प्राधिकारी को उत्पाद तालिका में यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबद्ध उत्पाद पर सीमा

शुल्क वर्गीकरण, जिसके तहत वस्तुएं आयात की जा रही हैं, का ध्यान रखे बिना शुल्क लगता है।

iv. मैसर्स रविराज की छूट औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि इसने संबद्ध उत्पाद का काफी मात्रा में आयात किया है। इसी दौरान मैसर्स रविराज ने उत्पाद का मूल्यवर्द्धन किया है और इसकी बिक्री की है। उन्होंने संबद्ध उत्पाद की बिक्री नहीं की है।

v. मैसर्स हंगझोऊ फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, मैसर्स जिंग्सू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट-स्टॉक कं. लि. और मैसर्स हंगझोऊ डिंगशेंग इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. का पाटन मार्जिन बहुत कम है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्यातक दवारा बिक्री किए गए उत्पाद की टाइप प्रकट करे।

vi. क्षतिरहित कीमत का निर्धारण अनुपयुक्त है तथा पाटन कानून के उद्देश्य और आशय के विरुद्ध है। एनआईपी में वृद्धि करके इसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

vii. उत्पाद की विभिन्न किस्मों तथा उत्पाद के विभिन्न प्रकारों और कीमतों के कारण शुल्क यथामूल्य रखा जाना चाहिए। शुल्क इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि यह लाभपूर्ण बन सके। पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के अनुरूप लगाया जाना है।

<u>प्राधिकारी दवारा जांच</u>

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई पश्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां/अनुरोध अधिकांशतः पूर्व के अनुरोधों को दोहराते हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त ढंग से और पर्याप्त ढंग से जांच की जा चुकी है तथा प्रकटीकरण विवरण अथवा वर्तमान जांच परिणामों के संबंधित पैराओं में उपयुक्त समाधान किया गया है। प्राधिकारी आगे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में नीचे दिए अनुसार विचार करते हैं।

i. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की इस जांच में जहां संगत पाया गया है, प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

ii. विस्तृत जांच के पश्चात प्राधिकारी ने निर्णय लिया है और उत्पाद की छूट के लिए कारण दिया है जिसके लिए छूट घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तथ्यों और साक्ष्यों पर विश्वास करने के पश्चात मांगी गई है।

iii. यह नोट किया गया है कि उत्पाद किस्में भारत में आयात की जा रही हैं और घरेलू उद्योग इन उत्पाद किस्म के लिए इसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है। विभिन्न एल्युमीनियम फॉइल की विभिन्न किस्मों में एक वस्तु है और उत्पाद किस्मों

को छूट देना उपयुक्त नहीं होगा। यदि घरेलू उद्योग भारत को आयात की जा रही उत्पाद किस्म के लिए इसी प्रकार की वस्तु का भी निर्माण करता है।

iv. एलॉय 3003 से बनी 34 माइक्रोन और 80 माइक्रोन के बीच की थिकनेस वाली, सेमी रिजिड कंटेनर फॉइल अथवा एल्युमीनियम फॉइल कंटेनर की छूट के संबंध में प्राधिकारी दोहराते हैं कि रिकार्ड पर सूचना दर्शाती है कि एसआरसी कंटेनर 8006 और 8011 एलॉय का प्रयोग करते हुए उत्पादित किया जाता है और घरेलू उद्योग द्वारा चीन से आयातित किए जा रहे 3003 एलॉय के सेमी रिजिड कंटेनर की कीमतों की तुलना में अधिक कीमतों पर बिक्री की जाती है। इसके अतिरिक्त, एसआरसी फॉइल स्टॉक के एक प्रयोक्ता ने घरेलू उद्योग से एलॉय 8006 वाले एसआरसी फॉइल स्टॉक की खरीद की है तथा चीन से एलॉय 3003 वाले एसआरसी फॉइल स्टॉक का भी आयात किया है।

v. हितबद्ध पक्षकारों ने वास्तव में एसआरसी फॉइल स्टॉक की दोनों किस्में खरीदी हैं और बाजार में सेमी रिजिड कंटेनर की बिक्री की है। ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि 3003 एलॉय वाले सेमी रिजिड कंटेनर और 8006 एलॉय वाले कंटेनर इंटरचेंज करके उत्पादित किए गए हैं और उसी सेट के उपभोक्ताओं को बिक्री की गई है। इसके अतिरिक्त, 3003 एलॉय वाले एसआरसी कंटेनर और 8006 एलॉय वाले एसआरसी कंटेनर के बीच कीमत में विशेष अंतर नहीं है। यह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रमाणित किया गया है, इसलिए 8006 एलॉय वाले एसआरसी फॉइल स्टॉक तथा 3003 वाले एसआरसी कंटेनर को पीयूसी के कार्यक्षेत्र से छूट देना उपयुक्त नहीं होगा। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने एलॉय 3003 वाले विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए फॉइल के उत्पादन दर्शाने वाला साक्ष्य उपलब्ध कराया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वास्तव में घरेलू उद्योग के पास उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप फॉइलों के उत्पादन के लिए उनके पास 3003 एलॉय उपलब्ध हैं।

vi. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति उत्पादन की उच्च लागत तथा अपनाई गई पुरानी प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया के कारण स्वयं थोपी गई हैं, यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकार ने इस प्रकार के दावों को सिद्ध करने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यह प्रमाणित करने के लिए स्वयं स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटन के कारण है।

vii. पीसीएन पाटन मार्जिन के लिए पीसीएन के प्रकटीकरण के संबंध में यह नोट किया गया है कि संरचित सामान्य मूल्य के आधार पर गणना किया गया पाटन मार्जिन घरेलू उद्योग की कारोबार संवेदनशील सूचना है और इसलिए प्रकट नहीं की जा सकती। पीसीएन पाटन

मार्जिन का प्रकटीकरण घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के प्रकटीकरण पर लागू होगा जो कि घरेलू उद्योग के लिए गोपनीय सूचना है।

viii. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धृत मामलों को नहीं देखते हैं, यह नोट किया गया कि इस प्रकार के मामले घरेलू उद्योग की पात्रता के लिए तर्क देने हेतु उद्धृत किए गए थे और प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के संबंधित पैरा में कारण सहित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई है।

ix. इस तर्क के संबंध में कि उत्पाद के कार्यक्षेत्र, घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र, समेकित क्षति विश्लेषण के बारे में सुनवाई में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था, यह नोट किया गया है कि एडी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों की सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को देना अपेक्षित है जो इसके निर्णय का आधार बनता है। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने 14 फरवरी, 2017 को एडी नियमावली के नियम 16 के तहत तथ्य प्रकट कर दिए हैं। हितबद्ध पक्षकारों को तथ्यों पर टिप्पणियां करने का अवसर दिया गया है

x. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए पद्धति के बारे में यह एडी नियमावली के अनुसार निर्धारित की गई है।

xi. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई कच्ची सामग्री की कीमत के सबंध में प्राधिकारी ने इस संबंध में उपलब्ध बेहतर जानकारी अपनाई है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार किसी अन्य स्रोत की सूचना उपलब्ध नहीं कराता है जो प्रयोजन के लिए अपनाई गई जा सकती थी। चूंकि एल्युमीनियम स्टॉक के कई विभिन्न ग्रेड शामिल हैं, इसलिए इसके लिए कोई प्राधिकृत अंतर्राष्टरीय कीमत प्रकाशित नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि एलएमई में उल्लिखित एल्युमीनियम कीमतें किसी भी स्थिति में वर्तमान प्रयोजनों के लिए संगत नहीं हैं।

xii. एल्युमीनियम फॉइल कम्पोजिट की परिभाषा में संशोधन के लिए अनुरोध के संबंध में यह नोट किया गया है कि परिभाषा में इस प्रकार के संशोधन से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति किए गए उत्पाद किस्म की छूट होगी। प्राधिकारी ने केवल उस किस्म के उत्पाद की छूट पर विचार किया है जो घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं की है।

xiii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है जो यह अधिदेशित करें कि प्रकटीकरण विवरण जारी किए जाने के पश्चात सुनवाई की जानी अपेक्षित है। प्राधिकारी ने दिनांक 10 मई, 2016 और 4 नवंबर, 2016 को हुई जन सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट करने के लिए सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अवसर दिया है। पक्षकारों, जिन्होंने जन सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप में व्यक्त किए हैं, से उनके

द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को प्रत्युत्तर अनुरोध दाखिल करने के लिए भी अवसर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सुनवाई की मांग करते समय किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई संगत कारण नहीं बताया है जो इस चरण पर सुनवाई को औचित्यपूर्ण सिद्ध करता हो।

xiv. जीकेओ झेजियांग जीकेओ न्यू मैटेरियल कं. लि. के तर्क के संबंध में प्रश्नावली प्रत्युत्तर को अस्वीकृत करने के लिए विस्तृत कारणों से युक्त प्रकटीकरण विवरण के संबंध में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि पक्षकार ने जांच के दौरान मांगी गई संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्राधिकारी ने निर्यातकों की प्रश्नावली के प्रत्युत्तर की तालिका अध्ययन के बारे में जीकेओ के परामर्शदाताओं को सूचित करते हुए दिनांक 17.10.2016 को पत्र लिखा था। तथापि, उक्त जांच की पेशकश नहीं की गई थी, इसलिए निर्यातकों की प्रश्नावली में किए गए दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई संगत सूचना/सहायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्थल पर वास्तविक जांच प्राधिकारी के विवेकाधिकारी से की गई थी। यद्यपि, प्राधिकारी तालिका जांच करके और वास्तविक जांच किए बिना आवश्यकतानुसार इस प्रकार की सूचना और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कंपनी ने निर्यात कीमत निर्धारण के लिए दावा किए गए सहायक समायोजनों का कोई परिपुष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। यह होते हुए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सीमित सूचना से यह नोट किया गया है कि निर्यात किए जा रहे उत्पाद का विवरण अपने आप में अस्पष्ट है। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच से यह अवलोकन किया गया है कि निर्यातक ने वह सूचना उपलब्ध कराई है जो संबद्ध उत्पाद (परिशिष्ट-2 घोषणाओं के अनुसार) तक सीमित नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त कंपनी के संबंध में कोई वैयक्तिक पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सका।

xv. प्राधिकारी का मत है कि एल्युमीनियम फॉइल की विभिन्न किस्मों में एक वस्तु शामिल है। यदि घरेलू उद्योग भारत को आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए इसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करता है तो किसी उत्पाद किस्म को छूट देना उपयुक्त नहीं होगा।

xvi. एलु एलु लेमिनेट को शामिल करने के तर्क के संबंध में यह दोहराया जाता है कि याचिकाकर्ता ने इस टाइप के उत्पाद की छूट स्वयं मांगी है क्योंकि घरेलू उद्योग एलु एलु लेमिनेट का उत्पादन नहीं कर रहा है। किसी उत्पाद टाइप पर पाटनरोधी शुल्क लगाना उपयुक्त नहीं है। जिस समय समान वस्तु की घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं की जा रही है और उसे जांच की शुरूआत के चरण पर ही संबद्ध उत्पाद के कार्यक्षेत्र से छूट दे दी गई थी। जांच का कार्यक्षेत्र और प्रस्तावित उपाय जांच की शुरूआत के चरणबद्ध संबद्ध उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। कोई घरेलू उद्योग किसी उत्पाद पर एडीडी

लगाने के लिए नई याचिका दाखिल कर सकता है। यदि घरेलू उद्योग यह मानता है कि किसी उत्पाद का पाटन किया जा रहा है और इस प्रकार का पाटन घरेलू उद्योग की क्षति का कारण है।

xvii. मैसर्स जियांग्सू झोंगजी लेमिनेशन मैटेरियल कं. लि. के तर्क के संबंध में, कंपनी ने निर्यातकों की प्रश्नावली के प्रत्युत्तर के अनुसार निर्धारित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। कंपनी ने मात्र तुलन-पत्र उपलब्ध कराया है। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई बहुत ही सीमित सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी कंपनी के लिए वैयक्तिक पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं कर सका।

xviii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था, गोपनीयता दावे स्वीकार कर लिए हैं और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार को प्रकट नहीं की गई। बीजक कारोबार संवेदनशील सूचना है, इसलिए प्रकट नहीं की जा सकती।

xix. पिनहोल्स के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी का मत है कि इस मुद्दे की जांच की गई है और संबंधित पैराओं में प्रकटीकरण विवरण तथा वर्तमान अंतिम जांच में विस्तार से समाधान किया गया है। प्राधिकारी का विचार है कि यदि सरकार ने किसी उत्पाद के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उन्हें संकलित किया गया है तो उपभोक्ता यह मांग नहीं कर सकते कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद टाइप वांछित मानकों को पूरा नहीं करता।

xx. 1800 एमएम चौड़ाई वाली सामग्री की छूट के लिए अनुरोध के संबंध में यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकार ने स्वयं तर्क दिया है कि पक्षकार भविष्य में इस प्रकार के बड़े आकार की फॉइल का आयात कर सकती है। यह स्वीकार करते हुए कि पीओआई के दौरान इसका आयात नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि छूट के लिए अनुरोध पर जब तक विचार नहीं किया जा सकता, तब तक पक्षकार यह प्रमाणित नहीं करते कि इसने उत्पाद टाइप का आयात किया है और घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद की आपूर्ति नहीं की है।

xxi. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और भारत को आयातित उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में अपने तर्क दोहराए हैं। उन्हें यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद भारत को आयात किए जा रहे उत्पाद के समान है और प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसे

प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य दिए बिना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस तरह के मुद्दों को लागू नहीं किया जा सका।

xxii. घरेलू उद्योग ने यूएलजी 5.5 माइक्रोन की उत्पाद बिक्री दर्शाते हुए वाणिज्यिक बीजक के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। चूंकि, घरेलू उद्योग ने यूएलजी 5.5 माइक्रोन का उत्पादन और आपूर्ति की है, इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि घरेलू उद्योग ने इस टाइप के किसी उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति नहीं की है। तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सका।

xxiii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास देश में यूएलजी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि देश में मांग आपूर्ति में अंतर है तो विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद लागत देश में निश्चित रूप से अंतर को पूरा कर सकते हैं। मांग आपूर्ति अंतर उत्पाद के पाटन को औचित्यपूर्ण नहीं बनाते।

xxiv. घरेलू उद्योग के गठन के तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को यह जांच करनी अपेक्षित है कि (क) घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से अधिक के लिए आवेदन का समर्थन व्यक्त करते हैं और (ख) आवेदन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है जो सामूहिक रूप से उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 55 प्रतिशत से अधिक है, समर्थन के लिए व्यक्त घरेलू उद्योग का हिस्सा अथवा आवेदन का विरोध। प्राधिकारी ने खान मंत्रालय तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग को पत्र लिखा था और संबद्ध देश से 2011-12 से 2014-15 की अवधि लिए, यदि कोई हो, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन, उत्पादन क्षमता, आयात के आंकड़ों सहित भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की सूची के लिए कहा है। इस पत्र का खान मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से उत्तर दिया गया था और भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की सूची तथा प्रमुख उत्पादकों के उत्पादन को दर्शाने वाली सूचना संलग्न की थी। प्राधिकारी ने मैसर्स रविराज इंडस्ट्रीज की छूट के लिए विस्तृत कारण उपलब्ध कराए हैं। पुनः दोहराया जाता है कि मैसर्स रविराज फॉइल्स ने आयातित संबद्ध वस्तुओं की फरबिशिंग के पश्चात घरेलू बाजार में बिक्री की है। प्राधिकारी ने पीओआई के पश्चात कंपनी द्वारा आयात संबंधी सूचना मांगी है। यह पाया गया था कि कंपनी द्वारा आयात की मात्रा पीओआई के पश्चात बढ़ी है, तथापि, चीन जन गण से मैसर्स रविराज फॉइल्स द्वारा संबद्ध वस्तुओं का आयात पर्याप्त नहीं है परंतु, चूंकि आयातित संबद्ध वस्तुओं का लगभग पूरा आयात घरेलू बाजार में बेचा गया था और कंपनी ने उत्पाद का आयात करने के लिए कोई स्वीकार्य कारण नहीं दिया है जबकि कंपनी स्वयं उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई है, प्राधिकारी पाते हैं कि कंपनी इस प्रकार

के पाटन से अनुचित रूप से लाभान्वित हुई हैं। इसलिए प्राधिकारी का मत है कि मैसर्स रविराज फॉइल्स को घरेलू उद्योग का घटक मानना उपयुक्त नहीं होगा। आवेदक कुल घरेलू उत्पादन का 41% हैं, और पीजी फॉइल्स का समर्थन है, आवेदक कुल भारतीय उत्पादन के 56% है।

xxv. सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग दवारा अपनाई गई उच्च ब्याज लागत के तर्क के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने चीन जन गण के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की इष्टतमीकृत लागत पर विचार किया है।

xxvi. प्रकटीकरण विवरण में रखी गई गोपनीय सूचना की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी ने दिनांक 03.03.2017 के पत्र के तहत आंकड़े प्रकट कर दिए हैं और हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणियां मांगी हैं। उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर इन जांच परिणामों में विचार किया गया है।

xxvii. याचिका के अनुसार, आयात आंकड़ों में परिवर्तन तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने के संबंध में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने अपना विश्लेषण किया है और सत्यापित सूचना अपनाई है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों की अनुपूर्ति हेतु डीजी (सिस्टम) से भी आंकड़े लिए हैं।

xxviii. क्षति और आकस्मिक लिंक के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां किया गया उपरोक्त क्षति विश्लेषण यह प्रमाणित करता है कि स्वतः स्पष्ट है कि पाटन ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है।

xxix. एसआरसी की छूट के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे को प्रकटीकरण विवरण के संबंधित पैराओं के साथ-साथ इन जांच परिणामों में विस्तार से देखा गया है।

xxx. मैसर्स हंगझोऊ फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, मैसर्स जियांग्सू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कं. लि. और मैसर्स हंगझोऊ डिंगशेंग इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. के पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों के संबंध में वे संबंधित पक्षकारों की वास्तविक निर्यात कीमत के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। निर्यातकों द्वारा बेचे गए उत्पाद टाइप के प्रकटीकरण के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया गया है कि यह कारोबार संवेदनशील सूचना है और इसलिए प्रकट नहीं की जा सकती।

xxxi. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी की गणना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत निर्धारित हैं और वर्तमान जांच में एनआईपी निर्धारित करते समय उन्हें अपनाया गया है।

xxxii. शुल्क के रूप से संबंधित घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी का अधिदेश निर्दिष्ट पाटन का अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करना तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करना है। यदि वह लगाई गई होगी तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी। तद्नुसार, पाटनरोधी उपाय के रूप की उपयुक्तता के लिए किसी मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है।

ण. <u>भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे:</u>

139. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का भारत में उत्पाद की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहीं होगी। दूसरी तरफ, पाटनरोधी उपाय करने से पाटन प्रक्रियाओं द्वारा लाभान्वित निष्पक्ष लाभ दूर होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगा। सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की निष्पक्ष व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग के लिए क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि सामान्य रूप से देश के हित में है। इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाना उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय करने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। उपभोक्ता आपूर्ति के दो अथवा इससे अधिक स्रोत अब भी बनाए रख सकेंगे।

त. <u>सिफारिश</u>

140. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के पश्चात और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं किः

क. संबद्ध उत्पाद संबद्ध देश से भारत को सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध आयात के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ग. वास्तविक क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात के कारण हुई है।

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और यह सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई थी। पाटन क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटन क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू किए जाने के पश्चात तथा पाटनरोधी नियमावली की शर्तों के अनुसार और घनात्मक पाटन मार्जिन सिद्ध होने तथा इस प्रकार के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सिद्ध होने पर प्राधिकारी का मत है कि शुल्क लगाना पाटन और क्षति को नगण्य करने के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी द्वारा कम शुल्क नियमावली का पालन किए जाने पर प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के सबसे कम के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग के लिए क्षति को दूर किया जा सके। क्षति मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध उत्पाद के आयात का पहुंच मूल्य की जांच की अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान घरेलू उत्पाद की क्षतिरहित कीमत के साथ तुलना की गई है।

142. तद्नुसार, केंद्र सरकार द्वारा नीचे तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के समान पाटनरोधी शुल्क इस सबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

क्रसं	टैरिफ मद का उप शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	7607	एल्युमीनियम फॉइल *	चीन जन गण	चीन जन गण	झेजियांग झोंग्जिन एल्युमीनियम इंडस्ट्री कं. लि.	झेजियांग झोंग्जिन एल्युमीनियम इंडस्ट्री का. लि.	1.43	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
2.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स किंग्डाओ लोफ्टन एल्युमीनियम फॉइल कं. लि.	मैसर्स लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग) लिमिटेड	1.18	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
3.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स लोफ्टन एन्वायरनमेंटल टैक्नोलाजी कं. लि.	मैसर्स लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग) लिमिटेड	1.18	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
4.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
5.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	डिंग्शेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांग कांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
6.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं.लिमिटेड	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा.

क्रसं	टैरिफ मद का उप शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	इकाई
7.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
8.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	डिंग्शेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांग कांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
9.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
10.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
11.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	डिंग्शेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांग कांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
12.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल ज्वांइट-स्टाक क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
13.	7607	वही	चीन जन गण	चीन जन गण	क्रम संख्या 1 से 12 तक कोई अन्य संयोजन		1.63	अम.डॉ.	कि.ग्रा.

क्रसं	टैरिफ मद का उप शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	इकाई
14.	7607	वही	चीन जन गण	कोई	कोई	कोई	1.63	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
15.	7607	वही	कोई	चीन जन गण	कोई	कोई	1.63	अम.डॉ.	कि.ग्रा.

* इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए एल्युमीनियम फॉइल "एल्युमीनियम फॉइल" चाहे प्रिंटेड नहीं हो अथवा बैक्ड विद पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक अथवा 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के बीच की थिकनेस की इसी प्रकार की पैकिंग सामग्री, से अभिप्रेत है

i. एलु एलु लेमिनेट: पैकिंग कैप्सूल/टेबलेट में प्रयोग के लिए एए8079 और एए8021 में 40-50 माइक्रोन का एलु एलु लेमिनेट एक मल्टीलेयर्ड ओपेक्यू लेमिनेट है जहां एल्युमीनियम फॉइल और एडहेसिव्स से दोनों तरफ प्लास्टिक फिल्म बैक्ड है।

ii. अल्ट्रा लाइट गॉज कंवर्टेड : अल्ट्रा लाइट गॉज कंवर्टेड 5.56 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की थिकनेस वाला एल्युमीनियम फॉइल है जो बैक्ड विद क्राफ्ट पेपर तथा स्क्रिम, अथवा ग्लास क्लोथ है, चाहे वह इंसुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन्स कवरिंग तथा टी-बैग अनुप्रयोग में उपयोग करने हेतु प्लेन अथवा प्रिंटेड हो।

iii. ***एल्युमीनियम फॉइल कम्पोजिट: एल्युमीनियम फॉइल लेमिनेटेड पॉली एथिलीन से युक्त अथवा के बिना क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम अथवा ग्लास क्लोथ युक्त लेमिनेटेड अथवा बैक्ड एल्युमीनियम फॉइल, चाहे वह प्रिंटेड हो अथवा प्रिंटेड नहीं हो। तथापि, एल्युमीनियम फॉइल लेमिनेटेड क्राफ्ट पेपर से युक्त अथवा क्राफ्ट पेपर से बैक्ड संबद्ध उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के कार्यक्षेत्र में आता है।***

iv. कैपिसटर्स के लिए एल्युमीनियम फॉइल: कैपिसटर्स के लिए एल्युमीनियम फॉइल रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवेन, इलैक्ट्रिकल वैल्डर्स, मैग्नेट्स, इलैक्ट्रोनिक टेस्टिंग इक्विपमेंट, कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइलस, फ्लोरोसेंट लाइट, मरकरी वेपर स्ट्रीट लैम्प, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, इलैक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल यूनिट तथा समान वस्तु जैसे इलैक्ट्रिकल

इक्विपमेंट में प्रयोग के लिए 99.35% शुद्धता वाले कम चौड़ाई में 5 माइक्रोन गेज का एल्युमीनियम फॉइल है।

v. ईच्ड अथवा फॉर्म्ड एल्युमीनियम फॉइल्स : ईच्ड अथवा फॉर्म्ड एल्युमीनियम फॉइल्स इलैक्ट्रिक कैपीसिटर के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने हेतु एल्युमीनियम फॉइल है।

vi. एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल - एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल फेकेड क्लेडिंग और सिगनेज में प्रयोग के लिए एल्युमीनियम की दो पतली परतों के बीच एक नॉन-एल्युमीनियम कोर (प्रायः पीई) बांडेड है।

vii. क्लेड विद कम्पीटेबल नॉन क्लेड एल्युमीनियम फॉइल: क्लेड विद कम्पीटेबल नॉन क्लेड एल्युमीनियम फॉइल रेडिएटर, कंडेंसर, एवापोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर सिस्टम्स में प्रयोग करने के लिए एल्युमीनियम सरफेस लेयर्स मेटालर्जिकली बांडेड टू हाई स्ट्रेंथ एल्युमीनियम एलॉय कोर सामग्री से बनी एक जंगरोधी एल्युमीनियम शीट है।

viii. बीयर बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉइल: बीयर बोतल में प्रयोग किए जाने हेतु रफ सरफेस और परफोरेटड, चाहे वह प्रिंटेड हो अथवा नहीं, वाली 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉइल है।

143. केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के पश्चात इन जांच परिणामों के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, 1995 में यथा संशोधित तथा सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

(डॉ.इंद्रजीत सिंह)
अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी